319 Resolution re: formulation [RAJYA SABHA] of a comprehensive

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Whatever he speaks will not go on record.

SHRI RAM AWADESH SINGH:**

श्रत तंत्राजय में रण्य मंत्री श्रीर संतदीय कर्य संत्रालय में रण्य मंत्री (श्री र धारितार म लबीय): उन ध्यक्ष महोदय, यह ढाई वने से जो विजनेस चता है, वह प्राइवेट मैम्बर का विजनेस है। इति तेर मेरा श्रारोध है कि न तो इनकी कोई बात रिकार्ड को जय श्रीर न इन्हें एल क किया जाय।

SHRI VITHALRAO $M \setminus -$ DHWRAO **JADHAV** (Maha-I am on a point of rasic.a): orders, Sir. My p)int of order is that when the Private Mmebers" Business is going on, no other business is allowed in the House.. From chat point of view, Mr. Ram Awadesh Singh had no right to say whatever he has said. Therefor; it should b; expanged from ;he record

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI *. NARAYANASAMY): I have said chat no;hing of what Mr. Ram Awadesh Singh has said will- go on record. Now, Mr. Kanjachen will speak on the Resolution.

RESOLUTIONREGARDINGFOR MULATION OF A COMPRE-HENSIVE NATIONAL WAGE POLICY BY GOVERNMENT— Contd.

SHRI P. \$. KUNHACHEN (Kerala) *i* Mr. Vioe-Chairman. Sir, I snpport the Resolution rpoved ••Not recorded

by Shri P.N. Sukul on 28ih July, 1989. 1 thougit of moving an amendment. But as the Resolution had been moved on previous non-official day, it is not possible to move the amendment. As you see, it has been stated in the Resolution:—

"----this House is of opinion that Government should rationalise its 'Wage Policy' for securing to all workers a living wag}, as directed in article 43 of the Constitution and in pursuance thereof, formulate a comprehensive National Wage Policy, so that—"....

So, a wage policy alone is not sufficient. Actually, according to the latest estimates, there are 64 million agricultural workers in the country. If you take the rural poor as a whole, the figure comes to 110 million people. They are the most down-trodden people in the country. Even though minimum wages have been declared in various parts of the country, they are not being implemented. There is no machinery to implement the minimum wages. Even though the Government claims that there are Labour Officers etc. to implement them, but the actual position is that in many parts of the country, the agricultural workers are denied minimum wages. They are not getting the minimum wages. That is one thing.

Another thing is that the Conference of Labour Ministers held at Delhi in 1982 came to the conclusion that the minimum wages should be revised at a particular time. If the Cost of Living Index goes beyond 50 points, the wages should be revised. That is one suggestion. Otherwise, within period of every two years the minimum wages should be revised. Yesterday, I got the list of minlraum wages in all the State*

I find that in many States the minimum wages have not been revised from 1983 onwards. That is the position. Some States have revised the minimum wages in 1985-86. Many other States have not so far revised the minimum wages.

Taking all this into account, a comprehensive central legislation is a must in this respect. There was a Standing Committee on Labour under the That Stan-Unorganised Government of India. ding Committee on Unorganised Labour unanimously recommended that a central legislation for agricultural workers is a must. They made a mode! legislation and it has been submitted to the Government of India. Many times, in Parliament itself the Minister of Labour announced that a central legislation will be brought forward. It was done in 1982 itself. But Her on they went back on it. are not prepared to bring a legislation. Let the States decide regarding the legislation, etc. That is the stand taken by the Govern-ment. Then in 1984, I nder the auspices of the Central' Government itself, a technical conference was held with the participation of persons, labour scientiststechnical And in that conexperts, etc. etc. ference also it has been unani-mously recommended that a Cenbgislation for agricultural What has the workers is a must. Government done? Now the Rajiv Government is boasting that they are doing so many things for the downtrodden. But what the Government has done is that they have abandoned the Standing Committee for Unorganised Labour. They are not prepared to implement this legislation. Again, you see, the dean of the national labour institute, Dr. Pai, he has conducted an inquiry on agricultural la-bourers and he has also stated that sufficient material is before the Government for bringing forward a legislation for agricultural workers. Even then the Government has no*

taken any steps. From the Parliament itself, under the Chairman-ship of Shri Gurudas Gupta a sub-committee was parliamentary appointed and that sub-committee also submitted a report, explaining the condition of the agricultural That committee also workers. unanimously submitted a report that Central legislation is a must. submitted a report Everybody knows the 1NTUC leader, Mr. Bhagwati. Under the leadership of Mr. Bhagwati a committee has been appointed and the Bhagwati Committee also submitted a report that legislation is a must. Sir, these are the facts. But when these facts are before the House, before the Parliament and before the Government, what is the Government doing? Now they have appointed another commission on rural labour. For what purpose? To understand things? I do not know. So, what this connection, I wish to tell that enough material is before the Government. Nobody can deny the need of giving minimum wages, fixing the service conditions of agricultural workers etc. Nobody can deny. There is no difference of opinion in these things also. If there is no difference of opinion in these things, why is the Central Government hesitating to bring forward a Central legislation for agricultural workers? That is what I want to know. Because, it is on record. You see the document prepared for the Eighth Plan itself. Where is the stress? The stress is not for taking our land and distributing it. There is a very clear point in that. Because they do not want to offend the landlords. They do not want to offend the rich They will talk of the persons. downtrodden people, amelioration of their condition etc. They will talk but they do not want to offend the vested interests, the landlords, the big monopoly capitalists and also the capitalist cultivatos. That is the reason. So, if the Government is interested, they can bring forward legislation without

[Shri P.K. Kunjachen]

any difficulty and that is what I want to bring to the notice of the. Government.

Sir, another point is regarding pensions. Do the agricultural workers deserve pension? Are they performing their work which is helpful to the nation? It is a national question. Agricultural wor-kers question is a national question. They are cul ivating the They are bringing forth the land. They are giving us agriculvield. produce by their tural labours. WE people live on that. Otherwise what will be the fate of the country and when they re'ire there is no safety for them, They cannot do any work. There is no safety for them. That is why we have demanded that agricultural workers should be given pension. In Kerala, the Agricultural Workers This Act Act has been passed. has been appreciated by every State. This has been appreciated even by Central Government. As the per this Act, every agricultural worker who attains the age of 60 would be given Rs. 4*5/- per month as pension. This has been increased now. When the present came to power, they Government increased this amount. Now, every agricultural worker who attains the age of 60 would get Rs. 60/- per month as pension. 1 would like Congress(I) to ask the people, w'ry is not pension being given to agricultural workers in the Congress (Ī)—ruled States. What is hindering them? Why can't you give pension to agricultural workers? What is the difficulty? When Kerala can give pension to its agricultural workers at the rate of Rs- 60/- per months- why canf U. P. or Bihar other Congtess(I)—ruled or any State give pension to their agricultural workers? A Bill was brought forward in Tripura. Before it could i be enacted, the Government there was thrown out of power. In West Bengal also, they are bringing forward a Bill, - if my understanding

is correct. I would like to know why the other States are not Willing to enact such a legislation.

Similarly, health protection for the agricultural workers is a major thing. Not only for agricultural workers. I am not talking aboual the agriculutal workers alone. We have rural labour and the downtrodden, in particular. Other workers are also there. They are denied even the minimum wage. Various categories of workers are there in our country. Unless and until there is a legislation to give them protecion, their condition cannot be improved. As I said, they should be provided health facilities. At present, no health facilities are there for these people.

The service conditions and other things have been mentioned in this Resolution. I do not want to elaborate on the points mentioned in the Resolution. I only want to suggest that the Government should take steps to see that a Central legislation is brought forward conferringon the agricultural workers minimum wages. This legislation should also provide for pension and provident fund and an effecive implementation machinery. Kerala, we are going to bring forward a legislation in regard to provident fund also for agricultural Workers. In the original Act, there was a provision but it has been found that it is difficult to implement it. Now, we are going convert it into a welfare fund. The conception is, at the beginning, they will go to school and take up their studies. Then, when they ere able to work, they will work in the field except who go for other jobs. Then, when they attain the age of 60, they will get something in their hands and, thereafter, they will get pension. The point is, there should be security in their life. This is the cone ;p'ion. Therefore, the Government should consider this. I hope the mover of the R-esolution will accept my suggestions as well as

my amendment. I would request the Government to acc:-pt this Rerequest solution ana, on the basis of that, action should be taken. Thank you.

डा० रत्नाकर पाण्डेय (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभापति जी, आपने प्रसिद्ध, सरकारा कर्मच। रियों के उत्तर प्रदेश के नेता ग्रीर इस सदन के माननीय सदस्य, हमारे कांग्रेस संसदीय पार्टी के महासचिव, मंजदरों में जिल्होंने अपनी जिन्दगी बिताई है और जो सरस भी हैं किव के रूप में, श्री पशुपति नाथ सुकुल द्वारा 28 जुलाई, 1989 को उपस्थित किए गए संकल्प पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया है इसके लिए मैं उत्रज्ञता व्यक्त करता है। जब से ग्राप उपसभापति के बासन पर बैठे हैं, यह पहला अवसर है, जब मैं बोलने के लिए खड़ा हूं। ग्रपने साथियों में से नई पीढ़ी के नए कार्यकर्ता के रूप में ग्रापकी गणना संसद के पटल पर ग्रीर पूरे तमिलनाडु में जिस रूप में उसके प्रति प्रणाम क ते हुए मैं विश्वास करता हूं कि अगे और भी-इस पद पर तो ग्राप हैं ही-ग्रीर भी मंगलमय पदीं की शीभा बढाए । मैं ग्रापके उप सभाष्यक्षता में प्रथने विचार प्रकट करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Thank you for your compliments.

डा० रतनाकर पाण्डेय : माननीय सुबुल जी ने जो कुछ कहा है जब तक उसकी ग्रावृत्ति न कर लूं ग्रागे कुछ कहना मूल से कट जाना होगा । इसलिए सुकुल जो ने जो प्रस्ताव रखा है उसमें उन्होंने कहा है ---

"इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यद्यपि सरकार ने राज्य के नोति निर्देशक तत्वों को महेनजर रखते हुए श्रम कल्याण संबंधो अनेक कानन बनाए हैं, तथापि, श्रीमक वर्गकी दशा में, चाहे वह संगठित क्षेत्र का हो या **ग्र**तंगठित क्षेत्र का, बदलते हुए समय के साथ-साथ अधिक सुधार नहीं हुआ। है, इस समा की यह राय है कि सरकार

को अपने सभी कर्मकारों को जीवन निर्वाह के लिए कुछ न कुछ मजदूरी दिलाने हेतु अपनी मजदूरी निर्ति को सुव्य-वस्थित बनाना च हिए, जैसा कि संवि-धान के अनुच्छेद 43 में निर्दिष्ट है और उसके अन्य लन में एक व्यापक राष्ट्रीय मजदूरी नोति भी बनानी चाहिए, ताकि-

- 1. मूल मजदूरी को उपनोक्ता मृत्य सूचकांक के साथ जोड़ा जा सके,
- 2. यह निश्चित करने के लिए व्यवस्था की जा सके कि विद्यमान कानुनों के अंतर्गत जहां कहीं भी न्युनतम मजदूरी नियत की गई है, वहां उनमें समुय समय पर नियमित रूप से संशोधन किया जा सके,
- 3. मूल्यों में वृद्धि होने पर, सन्ना-निवृत्त कर्मचारियों को देय पेंशन उपवान इत्यादि में निर्वाह-खर्च में वृद्धि के अनुपात में वृद्धि की जा सके.
- 4,. न्युनतम मजदूरियों में विद्य मान क्षेत्रवार असमानता को कम किया जा सके ताकि श्रमिकों के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बहिर्यमन पर अंकुश लगायां जा सके.
- 5. समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत सभी स्तरों पर प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके,
- 6. न्यनतम मजदूरी का निर्धारण इस तरीके से किया जाए कि ग्रावश्य-कता पर ग्रंधारित न्युनतम मजदूरी की अवधारणा को एक हकीकत बनाया जा सके,
- 7 सभी कर्मकारों को 8.33 प्रतिशत की न्यनतमंदर पर बोनस दिया जा सके, और
- महिलाओं को, विशेषतः आर्थिक दिंद से पिछड़े क्षेत्रों की महिल भों को रोजगार के भ्रवसर प्रदान करने के लिए विशेष व्यवस्थाकी जासके।"

[डा० रत्नाकर पाण्डेय]

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, श्रमेव जयते का हमने नारा दिया है। सत्यमेव जयते, श्रमेव जयते हमारे नारे हैं। श्रमेव जयते का अर्थ है जो श्रम करेगा वह सत्य में विश्वास करेगा, जिसे हरामखोरी की ग्रादत लग जायेगी वह कभी न श्रम करेगा, न सत्य में विश्वास करेगा।

महोदय, यह देश किसानों का देश है, ये देश मजदूरों का देश है, यह देश अपने हाथ से ग्रपना उत्पादन करने वाले उन कोटि कोटि भारतवासियों का देश है. जो रात दिन ग्रपना पसीना एक करके अपने लिए उत्पादन करते हैं । इससे राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, सर्वव्यापक धरातल पर सारे विश्व में इमारी प्रतिष्ठा होती है। एक दूसरे की ग्रावश्यकता की पूर्ति करने में श्रमिक जो उत्पादन करता है या जो किसान या मजदूर ग्रपने श्रम के माध्यम से ग्रन्नोत्पादन करता है वे सब एकरूपता के अधिकारी हैं भीर एकरूपता की कमी के कारण हमारे ज्ञान, कर्म और हमारी इच्छा का समन्वय नहीं हो रहा है। जब तक हमारे ज्ञान, कर्म ग्रीर इच्छा शक्ति का समन्वयन नहीं होगा तब तक हमारे संकल्पों की श्रीसिद्धि नही हो सकती है।

महोदय, हम समाजवादी देश है. हम समाजवादी रास्ते में विश्वास करते हैं। समाज को अपनी प्रतिभा के अनुरूप सभी को विकास का मौका देना चाहिए ग्रीर इसके लिए एक राष्ट्रीय मजदुरी नीति बनाना बहुत ही जरूरी है। हमको स्वतंत्र हुए 47 साल वर्ष हो रहे हैं। इन वर्षी में हमने केन्द्र की जो लेबर मिनिस्ट्री है या जो सरकार की लेवर मिनिस्ट्री है, जो श्रमिक विभाग है, उनमें एकरूपता की कमी के कारण बड़ी भारी विडंबना सारे देश में व्याप्त है।

भारतीय संविधान सहित हमारी पंचवर्षीय योजनायों में भी एक व्यापक राष्ट्रीय मजदूरी नीति बनाये जाने के सम्बन्ध में श्रीर कामगारों को उनको वैध हक दिलाये जाने पर जोर दिया गया है। अर्जादी हासिल होने के बाद ग्रब तक हम राष्ट्रीय मजदूरी नीति नहीं बना पाये हैं। इसमें कोई शक नहीं

है कि भारत जैसे महान देश में एक राष्ट्रीय मजदूरी नीति तैयार करना ग्रासान काम नहीं है क्योंकि यहां करोड़ों लोग ग्रसंगठित क्षेत्र में हैं । सातवीं पंचवर्षीय योजना में कहा गया है कि श्रम नीति का एक महत्वपूर्ण पहल् एक उचित मजदूरी नीति तय करना है क्योंकि सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि पूरी होनी अभी बाकी है । अतः सुझाव ग्रावश्यक है। मजदूरी नीति का मुल उद्देश्य क्या है ? पहला तो उत्पादकता में वृद्धि होनी चाहिए । उत्पादकता में वृद्धि के मताबिक बास्तविक ग्राय के स्तरों में वृद्धि, उत्पादक रोजगार को संरक्षण कुशलता में सुधार, वांछित दिशाओं में सेक्टर सम्बन्धी परिवर्तन ग्रौर ग्रसमान-ताओं में कभी होनी चाहिए। ऐसा करने से सभी को रोजगार देने में हम मदद दे सकते हैं सारे राष्ट्र को । वर्तमान मजदरी ढांचा हमारा इस तरह से निर्धारित किया गया है कि सरकारी, सार्वजनिक, गैर सरकारी क्षेत्रों के ढांचे बीच और यहां तक कि खुद क्षेत्रों के भीतर ही अनेक असमानताएं विद्यमान हैं। विद्यमानता ही सारी ग्रसंगतियों को सारी डिसपेरिटी को, सारे भेदभाव को, सारे असन्तोष को भ्रीर सारी कुण्ठाओं को मजदरो की मैं जड़ मानता हं। जहां तक ग्रसंगठित क्षेत्र का सम्बन्ध है उसको अपयप्ति मजदूरी, असंगत मजदूरी तथा असंगत आय ढांचे का सामना करना पड रहा है। ऐसे एसे भी उदाहरण इस देश में विशेषतः बिहार में हैं जहां अशिका है, जहां ग्रजानता है वहां शोषण जिस तरह से ग्रसंगठित क्षेत्र के मजदूरों का होता है, मैंने बिहार के कुछ जमींदारों की कह नियां पढ़ी हैं, जो रोंगटे खड़े कर देती हैं। अगर एक अदिमी काम करता है उस के घर में उसका वाप, उसका दादा, उसका परदादा और उसका लक्कड़दादा सब काम करते थे। जो दांस चला आ रहा है। उस दासता की प्रथा भाज भी हम एटोमिक एनजी के यग में देख रहे हैं। उसे दास बना कर मुठ्ठीभर ग्रन्न के लिए तरसा कर जिस तरह से शोषण हो रहा है और जिस तरह से उनके परिवार के लोगों को विकास का मौका नहीं दिया जो रहा

है, इतना ही नहीं ऐसे ऐसे जमीदार ग्रातताई, ग्रातंकवादी ग्राज भी विद्यमान हैं देश के कोने-कोने में जो असंगठित मजदूरों की शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। उनका शारीरिक शोषण करते हैं। उनका हर तरह से शोषण करते हैं और यहां तक होता है कि उनकी बहन-बेटियों की इज्जत तक उनके हाथ में नीलाम होती हैं। इस क्षेत्र में ग्रसंगित मजदरों की न कोई युनियन है, युनियन तो बनायी जाती है, यूनियन नेता लोग बनाते हैं, नेता लोग जो यनियन बनाते हैं उसके माध्यम से मजदूरों का स्वार्थ कम हल होता है और अधिकांश यनियनों को मैने देखा है कि नेता लोग अपने स्वार्थ सिद्धि के जिए माजिकों के साथ समझौता कर लेते हैं ग्रीर चंद खनखनाते सिक्कों पर हजारों मजदरों की इच्छा, आकांक्षा, महत्वाकांक्षा श्रौर उसकी समस्त श्राणाश्रों पर तुषारापात होता है। उस को नध्ट भ्रष्ट कर दिया जाता है और नेता मालामाल हो जाते हैं। यह सब प्रवृत्ति बंद होनी चाहिए चाहे वह फिसी दल का नेता हो, किसी मजदूर क्षेत्र का हो । ऐसा करता हुआ पाया जाए, चाहे हमारी कम्युनिस्ट पार्टी की युनियन हो, चाहे कांग्रेस पार्टी की मजदूर युनियने हों, चाहे जनसंब मजदूर युनियनें हों या और कोई युनियन हो उसको नष्ट-भ्रष्ट कर के उसे ग्रयोग्य घोषित कर दिया जाना चाहिए । जो लोग व्यक्तिगत हित में मजदूरों की सामहिक शक्ति का उण्योग करते हैं उनका नेतृस्व हटा देने के लिए कोई न कोई काननी प्रावधान होना चाहिए । यह अति आवश्यक है कि मजदूरी नीति इस प्रकार से निर्देशित की जाए जिससे कामगारों के बीच ग्रसःतोप न बढ़े। भारत जैसे विकासणील देश में विकास श्रमिक वर्ग में बेहतर जीवन स्तर की इच्छा जागत होती है। 3.00 P.M.

इस देश में एक वास्तविक मजदूरी नीति का होना और शी अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां ग्राय ग्रीर धन की ग्रसमान-ताये तथा मुद्रास्फीति बहुत ग्रहिक है। एक सुसंगत मजदरी नीति वह होती है जो असमानताओं को दूर करने के साथ! साथ ग्रर्थं व्यवस्था के सभी क्षेत्रों में

मजदूरियों ग्रीर मजदूरी से ग्रलग ग्रायों के बीच एक उचित संतुलन स्थापित रखे। इसका उददेश्य ऐसा होता है कि श्रसंगठित कामगारों को कम मजदूरी दी जाती है। उसमें सुधार हो ! मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के साथ साथ मजदरी नीति रोजगार के ग्रधिक ग्रवसर प्रशन करने में समधे होनी चाहिए । सामहिक सौदेबाजी के श्रीद्योगिक संबंध सुधारने में मदद मिल सकती है। लेकिन वह एक अस्थायी हल है। मजदूरी बोर्ड (वेज बोर्ड) भी श्रमिक समस्यात्रों का कोई स्थायी हल नहीं है। ग्रसंगटित मजदूरों का जो शोषण हो रहा है उसमें सुधार के लिए सरकार को कानुन बनाना चाहिए । हड़ताल होने श्रीर कार्य दिवसों का नुक्सान होने का जिसके कारण उत्पादन पर प्रभाव पडता है, एक वड़ा कारण कामगारों के बीच असंतोष का उपजना है जो असंगत मजदरी ढांचे से पैदा होता है, चाहे फिर कामगार कारखानों में काम करने वाले कामगार हों या बैंकों में काम करने वाले हों ग्रथवा डाक्टरों, सरकारी कर्मचारियों अथवा अध्यापकों स्नादि जैसे श्वेत पोश कामगार हों । इन सभी ब्राइयों का मुख्य कारण ग्रखिल भारतीय स्तर पर एक राष्ट्रीय मजदूरी नीति तैथार करने में विफलता है। कोई भी वह देश समाजवादी होने का दावा नहीं कर सकता जो कृषि ग्रथवा मजदूरी सुनिध्चित करने में विफल रहता है: देश को एक राष्ट्रीय न्युनतम मजदूरी निर्धारित करनी चाहिए जो ग्रौद्योगिक कामगारों की जरूरी ग्रावण्यकतात्रों के मुल्यांकन पर आधारित हो, न्योंकि निम्नतम ग्राय वर्ग के होते हैं ग्रौर उनकी ग्रावश्यकताग्रों के मल्यांकन पर ग्राधारित सीमित होती हैं। जब वे अपनी अनिवार्ध ब्रावश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं तो ग्राप जानते हैं कि भूखा इंसान हैवान वन जाता है ग्रीर भूखें भ**जन न** होय गोपाला । भूखे पेट मजदूरी करने वाले तत्व इस देश में चाहे वे सरकारी तत्व हो, चाहे ग्रीद्योगिक घरानों के वहे बड़े लोग हों, चाहे जमीदार हो, मजदरों को अभी भी बन्नी दी जाती है, उनको थोडा सा ग्रनाज दे दिया जाता है जिससे वे दोनों समय का खाना भी नहीं खा सकते हैं, इस प्रकार से जो मजदूरों का

शोधण करने वाले लोग हैं उनके विरुद्ध कानुन में प्रावधान किया जाना चाहिए ग्रौर उनको कठोर से कटोर दण्ड दिया जाना चाहिए । यह सिर्फ कागज पर ही न हो बल्कि इसको इम्प्लीमेंट भी किया जाय ! न्युनतम मजदूरी ऋावश्यकता पर ग्राधारित ग्रोर बिना किसी ग्रीर विचार के श्रीमक की न्यूनतम मानवीय ग्रावश्य-ताओं को सुनिध्चित करने वाली होनी चःहिए । व्युनतम मजदुरी तक का भी भगतान न करना स्प्टितः श्रमिक का शोषण ही है । न केवल ग्रसंगटित मजदूरों को कम मजदुरी मिलटी है ग्रिपित पुरुष ग्रीर महिला कामगारों के बीच भी मजबूरी में अन्तर है विशेषकर ें में श्रमिक द्रश्नगां≭त क्षेत्र वर्ग की बहुत ग्रधिक वृद्धि होने से श्रमिकों की सीदेबाजी की शक्ति काफी कम हो गई है। ग्रत: नियोजक कामगारों को बहुत ही कम मजदूरी श्रीर यहां तक किन्यूनतम मजदूरी से भी कम देने की स्थिति में हैं। श्रतः सरकार को कामगारों के न्युनतम मजबूरी सुनिधिचत करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।

इसमें श्रतिरिक्त उपभोक्ता सूचकांक में वृद्धि के अनुरूप मूल मजदूरी में संशोधन करने में देरो नहीं करनी चाहिए । राष्ट्रीय स्तर पर न्युनतम मजदूरी के बारे में समय समय परपुर्नविचारकिया जाना चाहिए शीर उसको बढाने में देशो नहीं करनी चाहिए। इसमें विलम्ब घातक होगा क्योंकि इसका संबंध हजारों, लाखों प्राणियों से है। सरकार के सेवा निवृत्त कमैंचारियों को देय पेंशन, उपादान जैसी सुविधाओं को भी जीवन निर्वाह लागत में बद्धि के अनुपात में बढ़ा दिया जाना चाहिए । सरकार को साबधानी से विचार करके एक हो प्रकार का कार्यकरने वाले केन्द्रोय सरकार के कर्मचारियों ऋौर राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतनमानों में समानता लाने हेतु काम करना चाहिए। इस क्षेत्र में हमारे केन्द्रीय सरकार --कर्मचारियों का जो वेतन है उसके समान ही उत्तर प्रदेश सरकार ने और ग्रभो बिहार सरकार ने भीर अन्य प्रान्तों ने दिया है और जहां यह नहीं दिया जा

रहा है वहां भी केन्द्रीय सरकार ग्रीर राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन-मानों में भेद नहीं होना चाहिए।

जहां तक संगठित क्षेत्र का संबंध है। वहां पर बोनस का भुगतान सुनिश्चित है। लेकिन इसका लाभ इस क्षेत्र के थोडे बहुत श्रमिकों को मिल पाता है। अक्षंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर को उपेक्षा हो रही है। इसलिये इस संबंध में दोर्घकालीन समाधान ढुंढा जाना चाहिये ग्रीर ग्रसंगठित क्षेत्र में काम करने वालों के लिये बोनस का भगतान सुनिश्चित किया जाना चाहिये । लगभग 15 वर्षे पहले योजना श्रायोग ने एस० चक्रवती को ग्रध्यक्षता में मजदूर नोति के संबंध में एक समिति का गठन किया थाले किन इस समिति का प्रतिवेदन ग्राज तक सार्वजनिक नहीं किया गया है । जब समितियों को हम बनाते हैं, उनसे सिफारिक्षें लेते हैं तो फिर उतको कोल्ड स्टोरेज में बंद कर देता, उसको रददो की टोकरी में फेंक देता, उतको ग्रालम।रियों में बंद करके दीमक लगने के लिये रखना बहुत ही अनचित है और इसे जनता को घोखा देना मैं मानता हुं। अगर कोई कमोशन बैठता है ग्रीर उसकी रेकमडेशंस का इमिडियेट इम्पलीमेंटेशन नहीं होता है तो कमीशन विठाना बंद हो । इसके साथ जो कंडोशन रखी जाय, उसके साथ जो शतं रखो जाय, यह कमीशन तभी बिठाया जाय, मजदूर के चितन के क्षेत्र में जब सरकार उसके इम्पलोमेंटेशन का वायदा करे। तभी कोई कमीशन बिठाया जाय ग्रन्यथा कमीशन बिठाने से कोई फायदा नहीं होगा।

स्रव समय श्रा गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर मजदूरी के डांचे का जो संकल्प किया है उसकी पूरी तरह से जांच-पड़ताल हो, उसकी संबोक्षा की जाय ताकि श्रमिकों का शोवण समाप्त हो सके तथा उत्पादन बढ़ाने में उन्हें उत्साहित किया जा सके। श्रीद्योगिक संबंध में शांत श्रीर सीह, दं को सुनिश्चित करते हुए राष्ट्रीय शर्य-व्यवस्था में श्रीधकतम योगदान मजदूरों का लिया जाय । मान्यवर, महोदय, देश में जापान का उदाहरण रखा जाता है। मजदूर जब बहां हुड़ताल करते हैं

तो अपने हांयों पर काली पट्टी बांध लेते हैं भीर जितना उत्पादन वे रोज करते हैं तो उस वक्त वे उससे बढ़कर उत्पादन देते हैं। एक मेरा देश है और पिछड़े हुए जितने भी स्वतंत्र देश हैं सब जगह राजनैतिक पार्टियों के लोग अपने क्षणिक लाभ के लिये, अपने वोट बदोरने के लिये गरोब, निरक्षर ग्रीर ग्रनपढ़ मजदूरों को वे दबाते हैं और इस तरह से दबाते हैं. जिससे वह उत्पादन कम करता है। किसी भी राष्ट्र के कर्णधार-जनसेवक जो हैं वे जनता के प्रतिनिधि होते हैं और ये जन-प्रतिनिधि नेता के रूप में लेबर फोल्ड में काम करते हैं। चाहे वे किसो भी दल के हों, किसी भी प्रांत के हों, किसी भी समुदाय से वे संबंध रखते हो, किसी भी मजदूर यनियन के वे पदाधिकारों हों, में इस मंच के माध्यम से, इस सर्वो 🕶 सदन के माध्यम से प्रार्थना करूंगा कि उत्पादन को हानि पहुंचाने वाले जो भी कार्य मजदूरों की ग्रोर से ही उनको डिसकरेज करें। ग्रगर देश की उत्पादन की क्षमता, चाहे वह कृषि के क्षेत्र में हो और चाहे टेक्नोलाजों के क्षेत्र में हो, चाहे फलों के उत्पादन के क्षेत्र में हो, चाहे नई जनरेशन टोचर जो बना रहे हैं, उस क्षेत्र में हो, जो ग्रांदोलन कराकर इस देश को कमजोर करना चाहते हैं, प्रेसे तो तत्व हैं, उन पर नियंत्रण रखा जाय।

उपसभाष्यक महोदय, मैं देख रहा हं वि अपिका हाथ बराबर घंटो पर जा रहा है। यह प्राइवेट मेंबर बिल है। मुझे थोड़ा सा ग्रीर समय दिया जाय।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): There are, more than six, seven Member more to speak.

DR. RATNAKAR PANDEY: Ten minutes more, Sir.

THE*-"VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY) : Not ten

डा० रत्नाकर पाण्डेय : श्रीद्योगिकरण के ब्राहम्भिक काल में भारत में मजदूरी की दरें प्रायः भावश्यकता भ्रौर पूर्ति के सिद्धान्तीं द्वारा निर्धारत होतो थीं।

किन्तु आगे चलकर प्रामीण अर्थ व्यवस्था खिल्न भिन्न हो गई और दस्तकारो तथा खेतिहर कामगारों के बड़ी संख्या में बेरोजगार हो जाने से काम धंबे की खोज में व्यस्त श्रमिकों को संख्या में बाद सी था गई। ये लोग प्राय: अनुसीखे कामगार थे और उद्योगों में काम टटोलने के लिए घुमते रहते थे। इस प्रहार श्रामिक की पूर्ति आवश्यकता से बहुत अधि है। गयी है। उस समय कामगारों की आवाज उठाने वाला कोई श्रम श्रान्दोलन न मा जो उनको उचित मजदूरी दिला सकता। अतः मजदूरी की दरें भल्प हो गई। धीरै-धोरे नामगारों में श्रीम का संगठन की भावना पैदा हो गई ग्रीर वे अपने जीवन को विगड़ी हुई हालत और काम को बुरी ग्रवस्थायों पर शीक उठे । ग्रब वे जाग पड़े और अधिक मजदूरी और बेहतर काय व्यवस्थायों के लिए हाथ पांव मारने लगे। किन्तु फिर भी किसी पक्ष या सरकार के कानों पर प्रथम विश्व युद्ध के अंत तक इसकी जूतक न रेंगी कि उसे मजदूरी के नियमन का प्रयास करना चाहिये। लेकित लगभग महासमर के आगमन तक श्रीबोगिक संबंधों में सरकारों का हाथ ही कंचा दिखता रहा । सरकारों के इस क्षेत्र में ग्रबंध नोति ग्रानि जो कुछ किया है वह नियंत्रित नहीं है। जब 1937 में प्रांता में लोकप्रिय सरकारें बनने लगीं तब श्रीबोगिक विवादा में सरकार का हराक्षेप बढ़ता गया 🕽 युद्धकाल में और उसके बाद विभिन्न राज्य सर्वारों और केन्द्रीय सरकार ने म दूरी संबंधी झगड़ों के निपटारे के लिए भौधो नक न्यायालय और पंच नियुक्त िये । इनके निर्णयों से देश के विभन उद्योग के कितने हो मजुरों की मजुरी की दरें साहोती गई।

बीबोगिक विराम संधि- 1947 में इस देश में एक अनस्ती औद्योगिक अशान्ति देखने में आयी इससे 166 लाख आमक दितों की हानि हुई जो 1939 के बार की सब से बड़ी सहना है। उत्पादन में चारों भीर कमी देखने में श्राती थी और "उत्भादन करों या बरबाद हो जाग्रो" के नारे सुनामी देते थे। दिसंबर 1947 में केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारी

of a comprehensive **डा**० रत्नाकर पाण्डे

मालिकों और भजदूरों के प्रतिनिधियों का एक विदलीय सम्मेलन बुलाया जिसके सामने विचारने का विषय यह था कि उत्तत स्थिति काक्या उपचार किया जाए। सम्मेलन ने सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव स्वीकार किया जिसे ग्रीद्योगिक विराम कहते हैं । इस प्रस्ताव का उद्देश्य था कि वे उपाय काम में लाये जाए जिनमे श्रीमको भीर मालिकों के भ्रापसी संबंध सुधरने लगे जो उत समय वित-पर-दिन बिगड़ता जा रहा था भौर इस प्रकार उत्पादन बढ़ सके । माननीय उपसभा**ध्यक्ष महोदय, देश के** प्रर्थतंत्र के लिए उत्पादन बढ़ाना बहुत ही महत्व-पूर्ण है और वह बिना श्रीमको ग्रीर प्रबन्धकों के म्रापसी सहयोग • से सम्भव नहीं है । श्रीद्योगिक विराम प्रस्ताव का अनुशीलन करते हुए उचित मजदूरी समिति और लाभ बंटबारा बोनत समिति केन्द्रीय तरकार द्वारा स्थापित की गई । इन उमितियों में विदलीय प्रतिनिधि थे।

उचित मादूरी समिति––उचित मादूरी समिति ने अपने प्रतिवेदन में न्युनतम म दूरो और निवाह मजदूरी की व्यास्था की थो । उसमें लिखा गंशा कि वर्तमान राष्ट्रीय आय को देखते हुए इस समय निर्माहं म**ादूरी निश्चित** करना संभव नहीं है । इंअलिए विभिन्न परिस्थितियों को गान में रखकर न्यूनतम मादूरी और निर्वाह मनदूरी के बीचे में उचित म बहुरी निश्चित कर देनी चाहिये । इन परिस्थितियों में सब से महत्वपूर्ण परिस्थिति किसी कारखाने की मजदूरी देने की क्षमता थी। केवल उचित कार्यभार के लिए ही उचित मजदूरी देना ठीक था। किसो उद्योग में किंतनी मजदूरी देने की क्षमता है यह प्रत्येक प्रदेश में उसके विशेष ट्रिब्यूनल द्वारा ही निश्चित होनी चाहिये । देने की क्षामता का बाक्यांश स्वयं ग्रस्पष्ट है। इसकी परिभाषा लचर है। इसका ग्रयं यह भी हो सकता है कि कोई उद्योग मजदूरी पर उतना ही व्यय करेगा जिससे उद्योग का उत्पादन ग्रच्छी तरह से चालू रहे भीर जहां संभव हो बढ़ जाए तथा

वर्तमान मजदूर संख्या को रोजनार सिलता रहे । इसलिए सिमिति का यह विचार कदापि नहीं था कि मजदूरी की दर इतनी ऊंची होती चाहिये जिससे एक बड़े पैमाने पर मनदूरों की छटनी करनी पड़े भीर उससे बेरोजगारी को बढ़ावा मिले जहां समान कार्य के लिए सनान मजदूरी देने का सिद्धान्त स्वीकार किया गया है, उक्त प्रतिवेदन में कहा गया था कि कामगार की श्रावस्थकतात्रों के ब्राधार पर मजदूरी दर निर्घारित की गई है इसलिए कामगार की तुलना में कामगारिन का परिवार छोटा भानना चाहिये ।

उचित मजदूरी विधेयक—-उचित म बदूरी समिति के प्रतिवेदन के आधार पर 1950 में केन्द्रीय सरकार ने संसद में उचित मजदूरी विधेयक प्रस्तुत किया। बीच में चालू संसद भंग होने के कारण इस विधेयक का काल समाप्त हो गया और तब स इस संबंध में ग्राभी तक कोई दूसरा कदम नहीं उठाया गया है । में माननीय दुवे जो भारत सरकार के श्रम मंत्री हैं उनसे प्रार्थना कलंगा कि वे इस संबंध में सोचें ब्रौर ब्रब इस पर कोई कार्यवाही की जाए।

न्यूनतम मजदूरी श्रिधिनियम-संसद में उचित म गदूरी विधेयक प्रस्तुत किये जाने स पहले न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 पास हो गथा था। इस अधिनियम ने केन्द्रीय स्रोर राज्यों की सरकारों की कुछ उद्योगों के कामगारों की मजदूरी की न्युनतम दरे निश्चित करने का ग्रीधकार वे दिया गया। यह उद्योग थे ऊनी गलीचे बनाने तथा शाल-बनने वाले संस्थान, चावल ग्राटा (स्ववधान) मैं सन्जेक्ट पर हो बोल रहा हूं माननीय उपसभाष्ट्रयक्ष जी, मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य मुझे डिस्टर्ब न करे। मैं यह कह रहा था कि चावल, आटा, अथवा दाल मिलें, तंबाकू निर्माता संस्थान, चाय उद्यान, तेल मिलें, स्थानीय प्राधिकारियों के अंतर्गत रोजगार ग्रंधे, सड़क निर्माण ग्रथवा भवन रचना, पत्थर की गिट्टी वोड़ने वाले लथा लाख निर्माता, श्रेश्वक का काम, सार्वजनिक मोटर परिवहन, चमड़ा कमाने तया चमड़ा का काम करने वाले संस्थान

तथा कृषि । (समय की घंटी) इस अधिनियम ने सरकार को (अथवधान)

भी राम ग्रवधेश सिंह (बिहार) : क्या इस हिसाब से हम को भी समय मिलेगा। (व्यवधान)

डा० रत्नाकर पाण्डेय : सरकार को यह सम्चित ग्रधिकार दे रखा है कि वह जिस उद्योग में कानून द्वारा निर्धारित न्युनतम मजदूरी निश्चित करना ठीक समझे वहां ऐसा कर सकती है। इस ग्रधिनियम में मजदूरी निश्चित करने. तथा मजदूरी में संशोधन करने के लिए सम्चित सरकार की सहायता को समितियां, उपसमितियां. संलाहकार समितियां, सलाहकार उपसमितियां, सलाहकार मण्डल तथा एक केन्द्रीय सलाह-कार नियुक्त करने की व्यवस्था है (समय की घंटी) मैं (व्यवधान) समाप्त कर रहा हूं क्षत्र के मजदूरी ग्रसंगठित 1 क्षत्र के की तादाद संगठित क्षेत्र के मजदूरों से कई गुनी श्रधिक है। संगठित क्षेत्र के मजदूरों की समस्यायें श्रीर उनकी लडाई तो वरावर चाल रहती है, पर असंगठित मजदूरी की पीडा प्रायः ग्रखकार के कालमी तक नहीं पहुंच पाती है। इसका मख्य कारण असंगठित मजदूरों का असंगठित होना है। काम करते समय मजदूर की मौत हो जाए, कोई दर्दनाक हादसा हो जाए तो उसकी खबर तक नहीं छपती है। इन मजूरों के काम के घंटे तय नहीं हैं ग्रीर उनसे जिस तरह का कठोर काम लिया जाता है वह काम पशुभी नहीं कर सकते हैं। यह श्रम का मखील है ग्रीर इसे मैं श्रम के साथ विश्वासघात मानता हूं। मानवीय गरिमा से गिरा हुआ। यह काम है। सच्चाई यह है कि अंसगठित मजदूरों के शोषण को काबू में करने वाले कायदे कान्न हैं ही नहीं और अगर हैं भी तो उन्ह लागू करने की शासन में इच्छा शक्ति की कमी दिखाई पड़ती है। उदाहरण के लिए खेतिहर मजदूरों के लिए महज एक कानून है न्यूनतम मजदूरी का पर शायद ही वह कहीं लागू होता हो। न्यूनतम मजदूरी तय करने का आधार माना गया है "एक व्यक्ति के लिए जरूरी केलोरोज भीर ऊर्जा' परन्तु क्या ... (व्यवधान) 12-13 रुपए में उतनी कलोरीज उसे मिल सकती हैं जिससे वह स्वस्थ रह सके। मजदूर परिवार कहां जाएगा ? उसके बच्चे कहां शिक्षा प्राप्त करेंगे। उसकी पहनने को वस्त्र नहीं होते । एक एक गुदड़ी में चार चार, पांच पांच बच्चे भ्रपनी मां की गोद में चिपटकर सोते हैं। न्यनतम वेतन निर्धारित है। कानून के तहत जिस किसी असंगठित अनुसूचित उद्योग में एक हजार या उससे अधिक श्रमिक कार्यं रत हों तो वेतन अधिनियम की ग्रनसुची में सम्मिलित उक्त उद्योगों के लिए राज्य सरकार न्युनतम वेतन निर्धा-रित कर सकती है ... (व्यवधान) राम श्रवधेश जी मैं श्रापको डिस्टर्व नही करता हूं। मैं काम की बात कर रहा हूं। मैं उपसभाष्यक्ष जी के आदेश पालन कर रहा हूं। (Time bell rings). I am concluding, Sir, in two minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): You take two minutes and finish.

डा० रत्नाकर पाण्डेय: राजस्थान में मौजदा स्थिति में 39 ग्रनसुचित उद्योग के श्रमिकों को न्यनतम वेतन श्रधिनियम की 13वीं अनुसूची में सम्मिलित करके राज्य की सरकार ने उनका न्युनतम बैतन निर्घारित किया है। जनवरी, 1987 से इस प्रदेश ने अनुसूचित उद्योगों के लिए न्युनतम वेतन 14 रुपये प्रति दिन निर्धारित. किया है। इस राशि में राज्य सरकार के श्रादेशानुसार निर्वाह भत्ता, बुनियादी मूल्य और अन्य सुविधायें जो रोकड मुल्य के रूप में हों सम्मिलित मानी जाती हैं। ग्रप्रेल, 1987 में दिल्ली के कार्यकारी पार्षंड ने घोषणा की कि टिल्ली प्रशासन ने न्युनतम मजदूरी की दरों में 18 प्रतिशत की वृद्धि की है और 25.7 हपए प्रति दिन प्रत्येक मजदूर को मिलेगा चाहे वह डेली वेजिज पर हो । इस तरह से जो दिल्ली में तय हुआ है वह सर्वत तय हो।

उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे एक माननीय सदस्य बहुत व्याकुल हैं। बाहर व्याकुल तो मैंने देखा था लेकिन ंडा > रताकर पाण्डेव]

राज्य सभा के भोतर व्याक्लता की पोड़ा से छटपटाते हुए मैंने किसी की नहीं देखा था जबिक में सब्जैक्ट पर बात कर रहा है। भंत करते हुए में कहना चाहुंगा कि जहां मजदूरी का पसीना बहता है वहाँ राष्ट्र का उत्पादन बढ़ता है । मजदूरों के बच्चों ग्रीर सम्बन्त घरों के बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में, दवादारू देने के क्षेत्र में ग्रीर उन्हें अपनी प्रतिभा के अनुरूप विश्वास करने में सरकार को ग्रीर से कहीं भी दिक्कत नहीं आनो चाहिए और बाल मजदूरी प्रथा को हनेशा के लिए समाप्त करना चाहिए तथा न्यूनतम मजदूरो का एक मानदंड इस देश में होता चाहिए, चहि वह खेत में काम करूने वाला हो, चाहे कुला हो, चाहे गिट्टी तोड़ने वाला हो, चाहे भेंस चराने वाला हो, चाहे मिल मजदूर हो सबमें अगर ए हड़पता निवारित नहीं होता है तो इस देश में समाजबादी समाज की संरचना का जो उद्देश्य महात्मा गांबी का था वह पूरा नहीं होगा। शिक्षा, चिक्तित्सा, स्वास्थ्य, खानपान, निवास मादि की अनिवार्य आवश्यकतायें हैं उनको पूर्ति हो और उस अनुरूप एक समान वेतन राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी नीति के तहत दिया जाना चाहिए।

कबोर ने एक दोहा कहा था राम श्रवधेण जो विशेष ध्यान से सुनेंगे ---

"मुए खाल की सांस सो, सार भस्म हुई जाय, निर्वेल की न सताइए, जाकी मोटो हाव"

निबंल कमजोर आदमों को सताओं मत, उसकी आह जब पड़ती है तो बड़ों मोटो आह होती है और उन्होंने उदाहरण दिया, धौकनों से जब लोहे को हवा भरकर जनाया जाता है तो लोहा जल जाता है धौकनों को हवा से । तो निबंल व्यक्ति हो मजदूर होता है । तो निबंल व्यक्ति हो मजदूर होता है । तो निबंल व्यक्ति हो मसंगठित मजदूर होता है, निबंल व्यक्ति ही भपने खून-पसोने को एक कर भपने बच्चों के लिए भाम को भाटा , व्याज, नमक खरोद करके मिर्च के साथ रोटो खाता है, एके लोगों की संख्या इस देश में कोटि-कोटि है और

उनके उत्थान के लिए मजदूरों के क्षेत्र में जो विवसता है और जो नेतागरी है नाम पर बड़-बड़े पूंजीपति, बहुत बड़े-बड़े संस्थानों से मिल कर के किसी भी दल के लोग लेते हैं, मैं दुवे जी प्रार्थना करूंना, भापके माध्यम से, कि ऐसे लोगों पर कड़ी कार्यवाही की जाए और उन्हें मजदुः ग्रांदोलन के क्षेत्र में, माद्रों का नेतृत्व करने के क्षेत्र से बाहर किया जाए और जो लोग उत्पादन में बाधक बनते हैं, व राष्ट्रद्रोहो हैं और उत्पादकता अगर बढ़ती है--मैं तो यहां तक मानने के लिए तैयार हं कि जो प्राइवेट कल-कारखाने है, जिस जमीन पर किसान संगठित रूप से खेती करता है, उसमें उसकी हिस्सेदारी होती चाहिए।

ग्रगर समाजवाद ग्राप साते हैं, तो प्रत्येक मजदूर की, जो संस्थान, उद्योग हैं, उसमें उसको हिस्देदारी होनो चाहिए, इसका पूंजीनिवेश होना चाहिए। तब जाकर इस देश में समाजवाद ग्राएगा।

में विश्वास करता हूं कि सुकुल जी का यह जो प्रस्ताव है, इस प्रस्ताव पर सरकार गंभीरतापूर्वक विचार करेगी और इसका समर्थन करने के पहले अपने माननीय बेक्ल उत्साही जो, जो बहुत बड़े क्रांति-कारी रहें हैं जवानी के दिनों में, उनकी मजदूर शोर्थक कविता पढ़ कर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा।

खेत से कारखानों के बहरूप तक, शहर की छोड़ से गांव को धूप तक, रोशनों किस दम से है, गोदामों खलियानों

रेल, शिथ और दूकों, विमानों तलक, सब के सब हैं रवां, देश से दूबरे देश का ये सफर, किसकी मजबूत बाजू को तदबोर है, किसके हाथों में मेहनत को तकदोर है, एक मजदूर की ।जन्दगो है मगर, सब किताबों में धनवान का नाम है, सुबह जिनकों हंसी और जवां शाम है, दिनया यासों है, उनका भरा जाम है। उन का उत्पादकों के सिवा कुछ नहीं,

342

चाहे मेहनत को बीमा। रयां वृक्ष लें,
चाहे पी जायें सारा ममानें, लहू
चाहे इन्सानियत रोज लुटती रहे,
धर्म दाता हैं ये,
देश निर्माण के विधाता हैं ये,
एक मजदूर अब तक गरीबों में है,
इसके बच्चे अधेरे में बीमार हैं,
आखिर इनकों उठ।एगा कौन ?
इनको अपने गले से लगाएगा कौन ?
आज सरकार मजदूर के श्रम की कोई
कीमत तो दे।

यहां आवश्यकता है, अगर हमने नारा विया— श्रमेव जयते, सत्यमेय जयते तो माननीय पं० पशुपति नाय सुकुल जी का जो प्रस्ताव है, उस पर सरकार को गंभीरतापूर्वक विचार करके ऐसे उपादेय निर्धारित करने चाहिए जिससे असंगठित या संगठित श्रमिक हों, सब को अपना हक मिल सके।

इन्हीं शर्त्दों के साथ, ग्रापने इतने विस्तार से मुझे बोलने का मोका दिया, में कृतज्ञता व्यक्त करता हूं ग्रीर जों बिनु काज दाहिनें, बायें, ग्रीर निर्मक व्यवधान डालते हैं, उनकी निदा न करके, उनकी भी स्तुति करता हूं। मेरा ग्रामय राम श्रवश्रेष सिंह जी से हैं।

कुमारी सईदा खातून (मध्य प्रदेश): माननीय उपाध्यक्ष जी, जो इन्होंने बात कहीं है, मैं मजदूरी पर सिर्फ दो लाइन का शेर पेश करना चाहती हैं।

वह ताजमहल जिसकी तमसील नहीं मिलती, उसकी भी बनाया है मजदूर के हाथों ने ।

SHRI CHITTA BASU (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, Sir, I agree with the principle on the basis of which my esteemed colleague Shri P. N. Sukul has moved the resolution. I believe and I am really confident that he means what he has proposed. I am confident he is not led by cheap emotional gimmicks

and means what he has proposed. He wants in his resolution a national wage policy. Our Constitution the Directive Principles has also mentioned about a living wage. And naturally it should be the endeavour of the Government to frame a policy which ensures a living wage for all wage-earners. But Mr. Vice-Chairman, I think wage is related to those who are in employment, unless you are in employment the question of wage does not arise. the question a national Therefore wage policy is linked up with employment a national employment policy. Unless we have got a welldefined comprehensive, well-integrated national employment policy the question does not arise immediately of a national wage policy. As a matter of fact I am for a national wage policy. But while framing a national wage policy it is also necessary to have a national employment policy. Sir, the resolution really relates to those who are in employment either in the Union Government or in State Governments or in the public sector or in the private sector. This resolution relates to them and-I think I may not commit a mistaketheir number would not exceed six to seven crores all over the country in the organised sector, in the government sector, in the public sector industries of our country. quite a larger number is outside the scope of the resolution. Even in the industrial sector, organised sector—I think my esteemed colleague is aware of the fact-"colleague is aware more than 1,60,000 industrial units, big, medium and small, are closed. And this has led to the increase of unemployment by about a million. Those who had had employment earlier have been deprived of their jobs during this period because of closures, lock-outs, etc. And their number, as I have mentioned eailier, exceeds 1,60,000 industrial units. Now, I have got one figure to quote. According to a reply given in this House, the total number pf persons registered in the employment exchanges in the country, as on 31

[Shri Cbitta Basu]

December last year, comes to 303.05 That is, more than three crores. And I have got another set of figures to suggest that there are more than three crores who are educated unemployed. If I take the view that only the educated unemployed have got their names registered in the employment ex-changes, then the two figures more or less tally. But here whatever may be the exact number of job seekers registered in employment exchanges, there is a large number of educated unemployed in our country, apart from the fact that there are more than 6 crore agricultural 'workers all over the country who are unemployed and underemployed. Let us for the time being devote our attention to educated unemployed. So far as matriculates are concerned, there are 97 lakh matriculates un-employed; higher secondary 42 lakhs, graduates 25 lakhs, postgraduates 38 lakhs. There are 27,481 medical graduates who are unemployed and registered in employment exchanges. There are technical graduates whose number is 92.664 of whom 10,776 females. Therefore a large number of educated young men and women who want to earn their wage are not being provided with the opportunity of being employed. In this connection I want to bring to his attention—because he is a learned Member of this House and I know that he is quite well aware of these facts yet—according to the International Labour Organization by the year 2000 AD in Asia out of 632 million young people 290 million will remain unemployed and the largest number will be in India. Therefore if we want to have a wage policy, a national wage policy, can we remain absolutely ignorant, absolutely unconcerned, about the employment position in the country, without being concerned at all with the national employment policy of the Government? Therefore, please excuse me, it may be a part of the gimmick, of a well-arche'strated pro-

paganda campaign just before the election; nothing else. Had there been a serious effort, had it been a product of a comprehensive thought, then I think this kind of proposals would not have come from a distinguished Member belonging to the Treasury Benches. You should also know about the rate of growth of employment in our country, during the last decade the rate of growth of employment in the organised sector was only 2.7%. This is the annual employment potential. And what about the growth rate of registration in employment exchanges ? 12.2%. The rate of growth of registration is 12.2% and the rate of placement or the rate of annual employment growth is 2 2%. Now you can very well understand the magnitude, which I call the alarming magnitude, of the unemployment problem in our country. Again, I want to mention about the role of the private sector and the role of the public sector in the matter of employment. In 1986-87, that is, in one year, employment increased only at the rate of 1.7 per cent. The figure of 2.7 that I mentioned was only the average. This is possible because this was the period of industrial sickness and industrial stagnation. To this the private sector contribution was only of the order of 0.3 per cent and the contribution of the public sector was 1.4 per cent. Therefore, this relates to the policy of the Government very much.

Much has been said about the role of the workers and the trade unions by Mr. Ratnakar Pandey and I do not like to make any comments on what he said. His comments are unwarranted and uncalled for. You should also know what the total number of man-days lost is. The man-days lost due to strikes and lock-outs should be compared in order to have a correct picture. Between 1985 and 1987, the man-days lost due to lock-outs or due to management action was 5.31 crores.

SHRI B. SATYANARAYAN REDDY (Andhra Pradesh) : It was how much?

SHRI CHITTA BASU: It was 5.31 crores. But the number of mandays lost due to strikes was only 4.43 crores. Therefore, loss of mandays is not primarily due to the workers, strikes, go-slow tactics, etc., etc. about which much has been said by the gentlemen on the other side in accusing terms. As a matter of fact, the number of man-days lost has increased because of the policy pursued by the employer. Here again the question of policy comes in and the Government also comes in and that is why I have moved an amendment to the effect that to give effect to this policy, as mentioned in the Resolution, the Government should suitably orient its economic policies.

Some mention has been made from this side about the agricultural workers. I have mentioned that about six crores of agricultural workers of our country are under-employed and unemployed. Their number is more than the total number of employees and workers engaged in the organised industrial sector. What do you say for that? Do you think that there should be need-based minimum wages for them? There should be. And, what are the minimum wages fixed by the Governments in the different States? Somewhere it is eleven rupees and somewhere it is thirteen rupees. It is a subsistence level wage, it is a starvation level wage, because a man can be said to be above the poverty line if he has got an income of more than six thousand rupees a year where, with this level of wages, he cannot get that much. The poverty line is drawn where the income is six thousand rupees. But the statutorily fixed wages, wages fixed by the Government of India and the various State Governments, are much below this level or do not exceed generally this level of eleven rupees or thirteen rupees. These are the statutorily fixed I

wages! It has been pointed out by a Committee appointed by the Labour Ministry that there are many. States like Bihar and Rajasthan and there are many districts in the country—I do not want to blame anybody—where the daily wages of workers come to five or six or seven rupees or something less than that! What is the national wage policy towards that? How do you visualise a national wage policy for these unfortunate millions of our country? A national wage policy should include their fate also.

Sir, I conclude because it is not necessary for me to deliberate on it further that this Resolution will be a serious one, a meaningful one, purposeful one, if the House accepts amy amendment which reads that this House demands of the Government to reorient the existing economic policies they are pursuing now.

I would, therefore, humbly request the mover of the Resolution thaf he should give a thought to the spirit of the amendment and accept it in order to prove that it is not his gimmickery, it is not an electoral promise, it is not an attempt-to divert the attention of the people to shelter the Government against the growing wrath of the people.

I, therefore, expect that the mover will accept my damendment.

Thank you.

श्री नरेश सी० पुगलिया (महाराष्ट्र):
उपसभाध्यक्ष महोदय, इस सदन के सम्माननीय सदस्य मुकुल जी ने देश के एक ऐसे
महत्वपूर्ण विषय पर प्राइवेट मैम्बर्स
रेज्यूलूशन लाकर और इस साइड के श्रीर
उस साइड के सभी सम्माननीय सदस्यों
को इसमें अपने मुझाव देने का, इसमें
श्रपने विचार रखने का जो मौका दिया है,
तो सबसे पहले मैं उनका शुकिया अदा
करता हं श्रीर साथ ही साथ शाज हमारा
कामगार मंत्रालय जो संभाल रहे हैं, जो
हमारे वरिष्ठ नेता श्री विदेशरी दुबे

[श्री नरेश सी० पुलगलिया]

कामगार मंत्री के रूप में, जिन्होंने धपनी पुरी जिन्दगी कामगारों के क्षेत्र में, उनके लिए जितनो भी सूख-स्विधायें या उनकी जो भी समस्यायें थे, उन्हें इंटक के माध्यम से पूरा करने के लिए उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि पिरुले सताह और इस बार जो सम्माननीय सदहय अपने-अपने विचार रख् रहे हैं, उनमें से उपयुक्त विचार उन्हें जो भी लगेंगे, बेउन पर ग्रावण्य विचार करेंगे।

उपसभाव्यक महोदय, इस देश में र्सगठित और झसंगठित दोनों प्रकार के कामगार हैं। संगठित कामगार कम परिमाण में हैं, असंगठित कामगारों की संख्या बहुत ज्यादा है। मेरे पुर्व वक्ता चित्त बसूजी ने, जो कि इस फील्ड के बहुत पुराने जा न्माने नेता हैं, उहोंने भी कुछ राज्यों में मिनिमम बेज नालिसी निश्चित करते समय आज भी 5 या 7 रुपए किस प्रकार ने दिए जाते हैं, उसर पर भी प्रकाश डाला है। हम उम्मेद करते हैं कि मंत्रों महोदय इस पर जरूर विचार करेगे।

ग्राजादी के बाद इस देश ने हर क्षेत्र में तरक्की की है, खासकर के इस देश के शिल्पकार पण्डित जवाहर लाल नेहरू, जिनका यह शताब्दी वर्ष है, उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से, केन्य सरकार के माध्यम से, इस देश ने हर क्षेत्र में जो तरक्की की है चाहे वह ग्रीयोगिक क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, शिक्षाकाक्षेत्र हो या रक्षाकाक्षेत्र हो। दूसरी स्रोर उनके बाद इस देश की प्रधान मंदी स्वर्गीय श्रीमति इंदिरा गांधी जी ने उस परम्परा को कायम रखा ग्रीर ग्राज हमारे युवा प्रधान मंत्रो इस देश के विकास के लिए बचनबढ़ हैं। लेकिन यह सब करते समय इस देश को बहुत तेजों से आगे लाने में जिन लोगों ने बहुत योगदान दिया, उस श्रमिक के बारे में सोचने समय हमें दृख होता है क्योंकि मैं भी कामगार क्षेत्र में काम करने वाला एक छोटा

सा कार्यकर्ता हं । मेरा एरिया पूरा लेबर एरिया है, इंडस्ट्यल बैस्ट है जहां पर इडस्ट्रीयल वर्कर बडेपैमाने पर हैं, में जब विधायक था तो बहां पर 80 परसेंट कामगारों के एरिया में रहने से मझे उनकी समस्यात्रों की जानकारी हैं। में कहना चाहुंगा कि जिन श्रमिकों के माध्यम से सारे देश ने तरककी की उनको क्या प्रतिष्ठा मिल रही है ? जिन श्रमिकों की रक्षा के लिए, उद्घार के लिए श्रम मंत्रालय है, श्रम मंत्रालय में लेवर डिपार्टमेंट है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर असिस्टेंट लेबर कमिण्तर हैं, स्टेट लेवल पर लंबर कमिश्नर हैं, उन ग्रधिकारियों की या इस मंत्रालय की क्या प्रतिष्ठा है ! यह मंत्रालय कामगारों के प्रति ग्रथना योगदान देने के बजाए उनका जो सोधग करत हैं इस देश के पंजीवनि, यह उनके हाथ में खेलने वाला मंत्र लेय है, यह मैं कारोप लगाता हूं।

348

उपसभाष्यक्ष महोदय, इस देश में करोड़ों मजदूरों की श्रम मंत्रालय से बहुत अपेक्षा थो, लेकिन वह अपेक्षा खंडित होती नजर ग्रा रही है। यदि किसी इंडस्ट्रों में यूनियन मजबूत है तो वे नाक दवाकर भ्रोपने अधिकार ले सकते हैं, लेकिन जिनके श्रमिक संगठन नहीं हैं, जहां 4-5 युनियनें मैने जमेंट ने बन है हैं, या जो खेतीं में काम करने वाले खेतिहर मजदूर हैं, जो ग्रसंगठित हैं, जिनको ग्रवाज कोई सूनने वाला नहीं है, ऐसे लोगों का भोषण पॅजिपतियों के हथीं हो रहा है। मैं सरकार का ध्यान दिल ना चाहता हूं कि क्रीर बड़े खोद के संथ कहना च हता है कि श्रम मंत्रालय जो प्रतिष्ठा का मंत्रालय होना च हिए, मैं दुवें जी के लिए नहीं कह रहा हूं, लेक्टिन जब श्रम मंत्रालय का भाग किसी को दिया जता है तो लोग सोचते हैं कि कितना गंदा डियार्टमेंट दिया गया है, लेकिन उपसभाष्यक्ष महोदय. ग्राप भी कामगरों में काम करते हैं, भ्राप मेरी बात से सहमत होगे कि श्रम की प्रतिष्ठा जब तक हम रे देश में नहीं बढती है, जब तक उनकी समस्या एकोस दि टेबल बैठकर नहीं मुलझायेंगे तो उसका परिणाम यह हो रहा है, मैं भ्रापको अपने

इल के चन्द्रपुर का उदाहरण देना च हता हुं कि वहां नक्सन इट एक्टिविटी बढ गई है क्योंकि कामग रों का, अ दिव सियों का शोषण हुन्न है और हम च हे लोक प्रतिनिधि रूलिंग पर्टी के हों ये ग्रामेजिशन के, उनकी समस्यायों सुलझाने में न का मयाव रहे हैं। इसका नतोज यह हम्र है कि उनका लोकतंत्र से विश्वस उठ गया है भीर वे बैलेट की जगह बुलेट पर विश्वास करने लगे हैं, कल की हो घटना है जहां एस० ग्रंगर० पी० के 9 जब नों को मार दिया गया। इस प्रकार की जो घटनायें हम रे पिछड़े इल की में हो रही हैं वह इसोलिए हो रही हैं कि वहां कामगरों का शोषण हो रहा है। वहां पर जो इस प्रकार की टेंडेंसो बढ रही है, इसके लिए ग्राप ग्रीर हम सब जिम्मेंदार हैं। जब तक लीकतंत्र में उनकी ग्रावाज सही म ने में नहीं सुनते, उनके विक स के लिए कुछ नहीं करते तब तक यह घटनाएं बढने वाली हैं। इसके लिए हमको विचार करना है। सथ ही सथ जो अर्गन इज्ड लेबर है उसकी सरकार मदद करे या न करे, लेबर डिप टीमेंट मदद करे या न करे, वे डंडे के बल पर अपनी मांगे मनवा लेते हैं, लेकिम जो असंगठित मजदूर हैं, चाहे वे एग्रिवः स्चरल के हों, च इस्ड लेबर हों, वीमेन लेबर हों उनके लिए केन्द्रीय सरकार ने य राज्य सरकार ने कितने ही वेज बोर्ड बन ए हैं जैसे सीमेंट बेज बोर्ड है, स्टाल वेज बोर्ड है, कई कमीशन बने हैं जैसे पत्रकारों के लिए बच वत कमीशन केन्द्र सरकार ने बनाया था, जिन पत्रकारों की कलम में इतनी ताकृत होती है कि वे अपने कलम से सरकार को भी हिला सकते हैं, उनकी समस्यायें सुलभाने में इतने वर्ष लग पते, हैं, जिनकी केन्द्राय मंत्रियों तक, एम पी०, से लेकर प्रधान मंत्री तक पहुंच है,। जो मिलकर ग्रांती समय यें डायरेक्ट वहां तक पहुन सकते हैं, ग्रगर उनको ग्रानो समग्य यें, अने वेजेज तथ करने में इतना समय लग जता है तो बेच रे जो गांव में रहते हैं, इंटारियर गांव में रहते हैं उनकी समस्य यें कीन भुनेग । इस प्रकार से मैं मंत्रो जो से कहूंगा कि बछावत कमोशन की रिपोर्ट ग्राने के बाद अगर

प्रेस के मालिक उस पर दवाव डालने की कोशिश करते हैं तो मंत्री महोदय इस विषय में भी ग्रापको सोचना होगा ।

हमरा स्टोल बेज बोर्ड, सीमेंट वेज बोर्ड की कई मीटिंगें होने के ब वजूद भी उसर्ने निर्णय लेने में इतना समय लग जाता है। खुशी की बात है कि कई सालों के बाद कोल वेज बोर्ड डिक्लेयर हम्र है। खासकर जो लोग सीमेंट वेज बोर्ड या स्टील वेज बोर्ड य जिनके लिए गवर्वमेंट ने बेज बोर्ड निश्चित किया है उस बेज बोर्ड का वे लोग पालन नहीं करते और उसके लिए अगर कोई अवाज उठाता है तो कुछ किया जाना चाहिए। में उदाहरण देता हूं। चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में सीमेंट की कुई मेजर फेक्टरीज हैं। उसने एल० एंड टी० की भी हैं, बिरला ग्रंप की म निजर सोमेंट फेक्टरी है, ए० सी० सी० की भी हैं। लेकिन बाकी इंडस्ट्रीज वेज बॉर्ड का पालन नहीं करती हैं क्योंकि म निजर संभिंट फेक्टरी विरला ग्रुप की है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY) : Please try to conclude because the Minister is to intervene at 4.15.

SHRI NARESH C. PUGLIA: I will take another 10 to 15 minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): There are three or four more speakers. Please try to conclude.

श्री नरेंश सी० पुगलियाः सीमेंट फेस्टरी केवरे में कहा चहता हूं। हमारे यहां चार फेक्टरियों में से तीन फैक्टरी सीमेंट वेज बोर्ड लागु करती हैं लेकिन एक फैक्टरी ग्रगर वेज बोर्ड की लगुनहीं करता श्रीर 60 की बजय 15 देता है ग्रीर लोक प्रतिनिधि उसके लिए ग्रवंज उठाते हैं ग्रीर मंत्रालय तक ज ते हैं, केन्द्रीय सरकार ग्रीर र ज्य सरकार तक जाते हैं तो संभेट वेश बीर्ड हम रे म्रंडर में नहीं ग्रंत है। हमारे ग्रंडर में सिर्फ उसके म इन्स इ ते हैं। स्टेट गवर्नमेंट बोलता है कि यह सैन्ट्ल गवर्नमेंट के जरिस

श्री नरेश सी० पुगलिया डिक्शन में हैं इस प्रकार से मजदूरों के साथ ग्रन्याय होता है । ग्रगर ग्रापने वेज बोर्ड बनाया है और जो इंडस्ट्री उस वेज बोर्ड का पालन नहीं करती, कमीशन की रिपोर्ट का पालन नहीं करती उस पर केन्द्रीय सरकार, अगर एक्शन नीं लेती तो उस पर वेज बोर्ड या कमीशन ग्रपाएंट करने का क्या मतलब है।

श्राज मेरे दो अनस्टाई क्वेशचन थे लेबर मिनिस्टी के संबंध में । लेबर मिनिस्टी ने दोनों प्रश्नों के बारे में कहा है कि हम इसकी इन्फरमेशन कलैक्ट कर रहे हैं भीर इन्फरमेशन कलैक्ट करके पटल पर रखेंगे । इस पर ऋंदाता लगाइये मैं पूछना चाहता था कि देश में इंस्ट्रियल कोर्ट में ग्रीर लेंबर कोर्ट में कितने केसे पैडिंग हैं। राज्वाइव उस का ब्योरा मांगा था। इपकी खबर सरकार के पास नहीं है । डिपार्टमेंट के पास नहीं है कि कितने को न, कितने लाख के देव लेबर कोर्ट में, इंडस्ट्रियल कोर्टमें पैडिंग हैं ग्रीर किनने जजेन की वैकेन्सी तलेवर कोर्टग्रीर इंडस्ट्रिल कोर्ट में पड़ी हैं। इपकी जानकारी भी परकार के पास नहीं है स्टेट वाइज । कोल वेज बोर्ड के बारे में मैंने प्रश्न पूछा था। कोल वेज बोर्ड के डिक्लेयर होने के बारे ' में पूछा था इसके उत्तर में उन्होंने कहा कि हम इसके लिए इन्फरमेंशन कलेक्ट कर रहे हैं। कोल वेज बोई चार दिन पहले डिक्लेयर हो चका है से किन सैन्ट्रल गवर्तमेंट की लेबर मिनिस्टी के पाम इसकी इन्फारमेशन नहीं है। श्राज कहती है कि इन्फरमेशन कालेक्ट करके हाउस के समाने रखेगी। इस प्रकार से हमारी लेवर पिनिस्टरी कितनी सीरियमली चल रही है इय पर आप हशन दे सकते हैं। मैं पांच मिनट और लूंगा।

उपमभाष्यक्ष महोदय, राज्यों ने मिनिमन वज बोर्ड बनाए हैं। सम्मानीय सदस्य श्री चिल बस जी ने कहा है कुछ लोगों को बेन बोर्ड के माध्यम से स्टेट में 5 रुपए, 7 रूपए या 10 रुपए मजदूरी दी ा रही है। महाराष्ट्र स्टेट ने जिसने म जदरी अच्छी दी है लेकिन आज मंहणाई के हिपाब से यह मजदूरी कम ही गयी है। इपके लिए वेज बोर्डकी नेशनल वज पालिसी होनी चाहिए और इस पर मंत्री महीदय को ध्यान देना चाहिए।

तीपरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हर इंडस्ट्री में कांट्रेक्ट लेबर सिस्टम इतना बढ़ा है कि एक इंडस्ट्री में अगर दो हजार मजदूरों की जगह है तो 12सीं, 15 सौ म च्दूर कांट्रेक्ट बेमेज पर रखा गया है और 500 मजदूर परमानेंट करते हैं। कांट्रेक्ट वेभेज पर जो **मज**दूर रहेंगे उसको 50 रुपए रोजी नहीं मिलेगी। सैन्ट्ल गगर्नमेंट ने एवोलिशन बोर्ड बनाया है कांट्रेक्ट लेबर पिस्टम के लिए ग्रीर राज्यों को उसका ग्रधिकार दिया है। मंत्री मंहोदय इस बात का पता लगायें कि महाराष्ट्र के अन्दर 8 साल पहले मैंने दिस फैक्टरी के बारे में कान्ट्रेक्ट लेवर सिस्टम के एबोलियन का केंम डाला था उसका आज तक कोई फैमला क्यों नहीं हुए। उपकी दो-दो साल मीटिंग नहीं होती । सारे देश में जितने राज्य हैं उपमें कंट्रेक्ट लेवर मिस्टम एबोलिश करने के बारे में केन्द्र सरकार ग्रगवानी करे।

प्रोडक्शन एंड प्रोडक्विविटी के बारे में माननीय मदस्य श्री रत्नाकर पाण्डेय जी ने स्टाइक ग्रीर युनियन के बारे में कहा। ठीक है। लेकिन लेबर यूनियन में कुछ नेता निस प्रकार से हमारे दूसरे फील्ड में ग्रधिकारी वर्ग या पालिटिकल फील्ड में 5--10 परसेंट गलत लोग रहते हैं इसी प्रकार में लेबर बोर्ड में भी 5-10 परसेंट गलत लोग यनिट चलाते हैं। इसके मायने यह नहीं हैं कि लेबर फील्ड में मभी युनियनें खराब हैं या देश के उत्पादन में नुकसान कर रही हैं। यह जो उत्पादन सिस्टम है, वकँसै पार्टिसिः पेशन है और दूसरे मामले हैं, जब तक प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को इंसेंटिव कल्ब नहीं करेंगे तब तक इस समस्या में दिकवर्ते आएँगी । जिन-जिन इंडस्ट्रीन में इसको इम्प्लीमेंट किया गया है वहां प्रोडक्शन बढ़ा है जहां इस्प्लीमेंट नहीं किया है वहां नहीं हुआ है। दूसरे क्षेत्रों में वर्कर्स पार्टिसिपेशन की बात को

सैन्ट्रन गवर्रभंट ने एनाउन्स तो किया है, लेकिन गवर्नमेट पब्लिक इन्डरटेकिंग में वर्कसं पार्टीसिपेशन बोर्ड आफ डायरेक्टर्स में लागू नहीं हुआ है और आज तक वह जिस्टभ इनने लाग नहीं हुआ है तो इस बारे में प्राइवेट मैनेजमेंन्ट में इमको लाग करने के संबंध में बोलने का हमें आधिकार नहीं है।

में यह भी कहता चाहुंगा कि देश के हर राज्य में इडस्टियत और लेबर कोर्ट हैं और उनमें जजेन की वेकेंसी हैं। इन कार्टी में वाजों मामले पंडिंग पड़े हुए हैं। ने र कोर्ट और इंडस्टियल कोर्ट में भामने वेडिंग होने का सतलब यह है कि महदूसी की मूनियनों के मामले हैं और मजदूरों को जल्दी से न्याय नहीं मिल रहा है। असम स्थिति यह है कि इंडस्ट्रियल और लेबर कोर्ट डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट के धन्डर में होने के कारण जनमें राज्य सरकारों, श्रीवकारियों और नेताओं का हस्तक्षेप रहता है। इयलिए मैं मांग करता हूं कि इंडस्ट्रियल ग्रीर लेबर कोर्ट जो राज्य सरकारों के अन्डर में हैं, इस सिस्टम को खतम किया जाय और इंडस्ट्रियल और लेवर कोर्टस को डायरेक्ट हाई कोर्ट के धन्डर में होना चाहिए ताकि उनमें बाहरी राज्य सरकारों का हर क्षेप न हो ग्रीर जो लाखों मामले पेडिंग है उनके लिए भी र स्ता निकल सकेगा ।

जहां तक ट्रेड यूनियन्स का संबंध है, कुछ राज्यों में जैवे बंगाल में कई मिन्ने बंद हो रही हैं। बम्बई में हमने देखा कि कई क्षड़ा मिले गलत ट्रेंड युनियनी की वजह से बंद हुई हैं। इनको भी चैक करना चेहिए और इनकी चैंक करने के लिए आप जो तथा जिल लाए थे, इंडस्ट्रियल ला एमेन्डमेंट बिल, 1988, उसमें कुछ चीजें ऐंसी थीं, कुछ गेलत चीजें थी जिनते मजदूरों कें ग्रिधिकारों का हनन होता था, बेकिन प्रधान मंत्री जी के हस्तक्षेप करने के बाद उसको रोका गया । हमारे दुवे जी भी इसी मत ने थे कि इसमें कुछ बुटियां है और उनके बारे में जब तक सभी 556 R. S.-12.

ा प्राप्त पत्री जा लिया

पाटियों और टेड युनियनों स चर्चा नहीं ारेंगे तब तक इसको नहीं लाएंगे। इस चीन का हम स्वागत करते हैं। एस जिल में जो खामियां है उनको पूर करके इसको उल्दी से जल्दी लाना चाहिए।

ग्राखिर में मैं यह भी कहना चाहता कि हमारी लेबर मिनिस्ट्री कामगार मिनिस्ट्री भी है। हमारे देश में जो पांच। करोड़ लोग बेरोजगार हैं उनको काम देना भी उसका काम है। हमारे देश में जो ग्रतहरूलायमेंट की प्रोक्लम है उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए । ग्राप जवाहर रोजगार योजना लाये हैं भीर स्माल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक भी बन रहा है। उसके माध्यम से ग्रापको पांच करोड़ लोगों की काम देना है और दस करोड़ हाथ खाली न रहे। ये प्रगर खाली पहरो तो यह लोकतंत्र के लिए अपछी बात नहीं हैं। इनको काम देने के िए नेशनल लेबल पर स्कीम बनानी चाहिए ताकि इन सब को काम मिल सके। इन शब्दों के साथ में कहना चाहता हं कि मुकुल जी जो यह रिजाल्यशन लाये हैं इससे हमें ग्रपने विचार रखने का मौका मिला हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि दूबे जी जो सजेसन्स दिये गये हैं उन पर गौर करेंगे और इसमें कोई अच्छा रास्ता जरूर निकालेंगे। कांग्रेस की हमेशा से यह नीति रही है कि मजदूर जिन्दा रहें ग्रीर उद्योग भी जिन्दा रहें ग्रीर उसी को महेनजर रख कर हम काम करें। इस सबध में जो भी सुझाव दिये गये हैं उन पर धाप श्रवश्य गौर करें। श्रापने मुझे बोलने के लिए जो समय दिया है उसके लिए मैं यापको धन्यवाद देना है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY) : Mr. Ram Awadesh Singh, your time is ten minutes, Please try to conclude within that time.

भी राम अवधेश सिंह:मान्यवर, मेरे समय में पार्वा अहु में ही लगा दी। प्राइवेट मेंबर में समय की पार्बदी नहीं 81

[श्री राम ग्रवधेश सिंह]

उपसभाध्यप्त महोदय, वि इस सकल्प को उपस्थित करने बाले श्री पीठ एन० स्कल जो के प्रति आभार प्रकट करता है। टहोंने सदन ग्रौर सदन के माध्यक्ष से सरकार का ध्यान असंगठित मजदरों की दुर्दशा की स्रोर खींचा है। में समझता ह कि अगर सरकार ने गभीरता से इन तमाम मुझावों को लिया, जिन मुझावों की चर्चा यहाँ पर हुई है, जो सुझाव यहां पर माननीय सदस्यों क्षारा दिये गये हैं तो निश्चय ही इससे लाभ होगा। मुझे जम्मीद इसलिये भी ज्यादा है क्योंकि प्राज श्रम मंत्रालय के प्रधान एसे स्थिकत हैं जो श्रमिकों के बीच से ही निकले हैं ग्रौर मजदूरी की अवस्था से निकलकर, ग्रंपना पसीना गिरकर द्वारे बढ़ते आये हैं । **ध**सिलिये. सनके मन में मुजदूरी के प्रति दर्द है। मुझे उभ्मीद है कि जो तमाम सुझाव माये हैं से २म पर अमल करेंसे ।

में इस संकल्प के बारे में यह कहना चाहता ह कि इसमें जो संकल्पकर्ता की नीयत है उसके बारे में मुझे संदेह नहीं। सकल्प के भ्रदर इग्दर्श हैं और उन बादशीं तक व्हाचने में को कठिनाइयां हैं, क्योंकि मादर्श हकीकत से टकराते हैं इसलिये वाकई में उन धादशों तक पहुंचने में बहुत बाधार्ये झाती हैं। जो इन्होंने संकल्प में यिनाया है कि मूल मज_ररी को उपभोक्ता मृत्य स्चक्रांक के साथ जें.इं। जा सके; यह सुनिश्चित करने के लिये ध्यवस्था की जा सके कि विद्यमान कान्नों वे अंतरेत जहां कहीं भी न्युनतम मजदूरी नियत की गई है, वहां उनमें समय समय पर नियमित अप से संमोधन किया का सके । यह मंशर ठीक है। लेकिन इकीकत में बात क्या है? अभी जो न्यूनतम मजदूरियां तय हुई हैं से लागू नहीं हो रही हैं। इसका मूल कारण क्षेतीय विषमता है। आज हमारे यह विहार के गांबी में कोर्द किसान मन से भी चाहे दिल में शी आहे कि मैं स्थानतम मजदरी अपने खेतीहर भजवूर की दूंतो भी वक्ष नहीं दे सकता क्योंक उसकी झाथिक झवस्था ऐसी गड़ी है जो वह दें सके। अपनी 18 रूपमे 50 पैसे या 66 पैसे बिहार में खेतीहर मज-दरों की मजदूरी नियत की गई है। लेकिन थि से जो ग्रामदनी है उस श्रामदनी से यह संभव नहीं है कि 18

रुपये 56 पैने, ऐसा कुछ है, इतना इन मजदूरों को दिया जा सके। लेकिन हरि-याणा और पंजाब में 40 रुपया भी दैनिक मजदूरी देने में कोई कठिनाई किसान को नहां हो सकती। कारण कि हरियाणा ग्रीर पंजाब में प्रति हेक्टेयर 29 क्विटल श्रीसतन श्रनाण पैदा होता है। तो यह तो तफरका है इसके चलते ग्रगर हम राष्ट्रीय मजदूर नीति के तहत न्यनतम मजदरी बांध लें तो भी हम इसको चला महीं सकते । जब दक हम क्षेत्रीय विषमता को नहीं मिटाते तब तक यह नहीं हो सकता श्रीर इस क्षेत्रीय विषमता को मिटाना कोई ग्रासान काम नहीं है । महोदय, क्षेत्रीय विषमता मिटाने के नाम पर इस देश में क्षेत्रीय विषंमता बढ गई है। क्योंकि इस संबंध में सरकार की कोई नीति है नहीं महीदय, मैं इस संबंध में एक-दो केंद्रीय सरकार की नीतियों का यहां पर उल्लेख करना चाहता है। जिस वजह से क्षेत्रीय विषमता बढ़ी है ग्रीर उन नीतियों का उल्लेख करना इस-लिए भी जरुरी है जब तक वह नीतियां जारी रहेंगी तब तक क्षेत्रीय विषमता बनी रहेगी और क्षेत्रीय विषमता जब तक बनी रहेगी तब तक मजदूरी में एकरूपता सारे देश में कायम नहीं हो सकती है चाहे हम सिर के बल खड़े हो जाएं चाहे कोई व्यायाम करने लगें। यह सम्भव नहीं है। 1954 में एक पालिसी बनी फेट इक्वि-लाइजेशन की नीति बनी । उसका मकसद था कि जहां खनिज सम्पदा ज्यादा हो वहां सारी वौलक्ष सिमट कर के न घा जाए वहीं सारे कल-कारखाने खड़े न हो आएं। इसलिए कञ्चा माल देश के किसी भी कोने में पहुंचे तो उसकी कीमत एक रहे लेकिन शंजाम यह निकला वहां खनिज सम्पदा ज्यादा है उदाहरण के लिए बिहार, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, इन इलाकों में देश की 75 से 80 फीसदी खनिज सम्पदा संचित है लेकिन हुआ क्या है ? फ्रेट एक्विलाइ-जेजन के चलते रेल भाड़ा समानीकरण नीति के चलते बिलक्ल उल्टा हो गया है । (ग्यवधान)

श्री विट्ठलभाई मोतीराम पटेल : (भूजरात) : इन्फ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिये, अकेले इसी से नहीं चलता।

श्री राम अवधेश सिंह : इतफाम्द्रवचर वयो न्हीं है, इसके: गहराई में जब ग्राप जाएंगे तो अपको पता चल जाएगा। कोयला आपके यहां है नहीं तो आपके यहां विजली कैसे पैदा होने लगी ? विजली **पैदा** होनी चाहिये बिहार में, बिजली पैदा हो रही है हरियाणा में, पंजाब में, गुजरात में और महाराष्ट्र में। क्यों हो रही है इन नातों को 'रा समझा करिये। रेल माल भाड़ा समानीकरण नीतिका मतलब है कि तीन मील का उतना ही भाडा और तीन हजार (व्यवधान)

थी विठ्ठलराव माधवराव जाघद (महाराष्ट्र): ग्रापके यहां का विहार का कोयला महाराष्ट्र में नहीं आता फार यूअर काइंड इनफारमेशन ।

श्री राम सबसेश सिंह : विना लोहे और ताम्बे के कोई कारखाना खड़ा नहीं हो सकता । बुनियाकी चीजें जितनी भी हैं जैसे कोवला, ताम्बा, श्रश्नक, युरेनियम इत्याम् कोई ऐसी धात नहीं है जो बिहार में पैदा नहीं होती माजकल के आध्।नक युगकी। यह जो नीति बनी उसके तहत संब उल्टा हो गया । समस्या सारे देश का सामिथक विकास करना था । जहां वानित्र सम्दः थी वहां यह सम्भावना बी कि सारा धन बौलत और समद्भि उसी जगह हो जाएनी, वही यह सारे कल-कारखाने खड़े हो आएंगे। इसलिए यह नीति बनाई पंडित जवाहरलास नेहरू घी ने, श्री सी० डी० देशमुख तत्कालीन वित मंत्री, तत्कालीन वाणिज्य मंत्री टी० टी० ळ्ळामाचारी ग्रीर पंजाब के मुख्य मंत्री प्रताप सिंह कैंद्रों ने, उन सोगों ने कहा कि नेट इक्विलाइजेशन बनाएं ताकि देश का सामयिक विकास हो सके । यह दर या कि शायद सारी समिद्धि और कारखाने बिहार में परिवमी बैगाल में पूर्वी क्षेत्रों में न बड़े हो जाएं इसलिए उसको मोड़ कर किया गया औट इन्विलाइजेशन क **जरिये। न**ती । <mark>ग्राज यह हो गया है</mark> कि बिहार में एक भी इंजीनियरिंग कार-खाना नहीं है भ्रोर वहां कोई भी पावर स्ट्रक्चर खड़ा नहीं किया गंत्रा विहार की तरकको के लिए कम से कम 24 हजार मैगावाट बिजली बनेगी तब उसका विकास

of a comprehensive

हो सकता है और कल-कारखाने वहां खड़ हो सकते हैं खेतों में पानी मिल सकता है।

श्री विठ्ठलभाई मोतीरान पटेल : आसाम को मुफ्त के भाव गैस देते हैं फिर भी वहाँ उद्योग नहीं बनते हैं।

श्री राम अवधेश सिंह : ब्रासाम को आप लोग 25 हजार मेंगाबाट बिजली बनाने की योजना दे रहे हैं, प्रापको मालूब है या नहीं? ब्रह्मपूर्व बोर्ड के चरिये 25 हजार मैगावाट विजली बनाने के लिए जब उन्होंने केन्द्रीय सरकार से डंडे से बात करना शुरू कियातब द्वाप यह योजना इनिको दे रहे हैं। अब केन्द्रीय सरकार का मन विग्हा हुन्ना है (ग्यवधान)

विठ्ठलमाई मोतीराम पटेल : अनेले कच्चे माल से १९०७ नहीं बनता।

श्री राम ध्रवधेश सिंह : श्राप जरा समक्रिये मेरी भाषा। मैं यह कह रहा हूं कि जहां के मीग लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं उनकी तो द्याप दे देते हैं, जहां के लोग नहीं सड़ते हैं...

हा० एम० हासिम निववई (उत्तर प्रदेश): अप भी तो लड़ते हैं।...

श्री राम प्रविधेश सिंह: मैं लड़-रहा हूं। मेरी बात अभी आप पर असर नहीं कर रही हैं। मेरी बात को जब सङ्क के लोग पकड़ लेंगे और सड़क पर मेरी प्रावाज बुलंद हो जायेगी तब 🤈 संसद में मेरी प्रावाज सुनी जायेगी . . . (समय की घंटी)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY) : Ten minutes are over.

Minister has to intervene, can give you only two minutes, more.

by Govt,—withdrawn

श्री राम ग्रवधेश सिंह: ऐसा नहीं हो सकता।

श्री विठ्ठल भाई मोतीराम पटेल : ये काम की बात नहीं कर रहे हैं।

श्री राम श्रवधेश सिंह : काम की बात कर रहा हूं।

पाण्डेय जो हमारे मित हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग समाजवाद को बात करते हैं, बांग्रेस पार्टी समाजवाद चाहतो है। मैं चाहता था कि उनके मुंह में घो शक्कर पड़े। समाजवाद जो कहते हैं छसको लाने के लिए एक इंच भी प्रयास करें और मौजूदा सरकार कुछ भी करती तो मुझको संतोष होता...

श्री विठ्ठल भाई मोतीराम पटेल : दिखाई नहीं देता है।

श्री राम ग्रवधेश सिंह : मान्यवर, एक जमाना था कि "समाजवाद" शब्द का इस्तेमाल सरकारी बेंच से बराबर होता था। प्रधान मंत्री यहां बोला करते थे या करती थीं लेकिन अब ऐसा समय आ गया है कि मंत्री के मुंह से "समाजवाद" ही कभी कभी श्राता हो ग्रीर सरकारी मंत्रियों के मुंह से भी कभी नहीं ग्राता ग्रौर समाजवाद की पहचान यह है कि एक जमाने में इंदिरा जी ने मोनों-पोलिस्टिक हाउसेज को, जो एकाधिकार-वादी घराने थे उन पर नियंत्रण करने के लिए एमं०ग्रार०टी भी कमीशन बनाया था, एकाधिकारवादी नियंतण श्री-योग बनाया। यह दफ्तर ग्रभी भी है। कस्तूरबा गीधी रीड पर बड़ा सा दफ्तर है, साइन बोर्ड लगा हुआ है लेकिन श्रव कोई काग्रेस पार्टी का उसका नाम भी नहीं लेता कि एकाधिकारवाद खत्म करना है, उन पर नियंत्रण करना है, छनकी नियंत्रण में रखना है। कोई बात नहीं होती है। ब्राज मान्यवर, जो मुठ्ठी भर गिने हुए पूंजीपति हैं वे हैं ग्रीर सरकार उनके नचा रहे सामने बौली है, सरकार उनके सामने

मुंह नहीं खोलती है, सरकार उनक सामने चेरी बनी रहती है। एक से एक सवाल हम लोगों ने उठाये। मैंने सवाल उठाया था टाटा का, कर चोरी का सवाल उठाया था कि दो सौ करोड़ रुपया उसने बिहार श्रीर केंद्रोय सरकार के सेल्स टैक्स का मार दिया है। उस "टिस्को" कम्पनी के डाइरेक्टर, एकाउंट्स ग्रीर डाइरेक्टर, मैटीरियल के बीच में जो पत्राचार हुन्ना है ग्रीर उन्होंने जो इस बात को स्वीकार किया कि यह गलत हो रहा है, टैक्स मारा जा रहा है, कभी भी डिटेक्ट हो जायेगा इसलिए इस पर कार्यवाहो को जावे, उस चिट्ठी की फोटो कापी मैंने सदन के मेज पर रखी, उसको पढ़कर सुनाया.. (समय की घंटी) लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई टाटा के खिलाफ, उसको पहड़ा भी नहीं गया और जांच भी नहीं को गयी ग्रीर ग्राप लोग कहते हैं, पाण्डेय जी कहते हैं कि हम लोग समाजवाद की श्रोर बढ़ रहे हैं।

डा० रतनाकर पाण्डेय : समाजवाद नहीं होता तो श्राप यहां पर नहीं होते।

श्री राम प्रवधेश सिंह : थोड़ा बहुत जम्हूरियत बचो है इसलिए मैं बोल पा रहा हूं। ग्राप लोगों की पूरो चले तो एक श्रादमी को यहां नहीं भाने दें.. (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : गला घोट देते हैं।

श्री राम सबर्धश सिंह। घोट ही दिय है। चुनाव जीता में और सर्टिफिकेट दे दिया ग्रापके चुनाव कलेक्टर ने दूसरे को। यह सब लोग जानते हैं तो भाष लोग यहां किसी को ग्रान दे सकते है? जीतने वालें को बाहर कर देते हैं। सर्टिफिकेट ग्रापके चुनाव कलेक्टर दूसरे को दे देते हैं...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Please try to conclude now. I have already given you more than fifteen minutes.

of a comprehensive

श्री राम ग्रवधेश सिंह : बात मत करिये समाजवाट को। ग्रापसे ग्राने वाला नहीं है। लेकिन खुदा के लिए, भगवान के लिए जो भी मानते हैं, समाजवाद का नाम मत लीजिए। समाजवाद का नाम लेंगे तो गुस्सा द्या जायेगा क्योंकि श्राप पंजीवाद की चेरी को तरह काम करते हैं, टाटा ग्रीर बिड़ला की नौकरी करते हैं ग्रीर यहां आकर कहते हैं कि हम समाजवाद ला रहे हैं.. (समय की घंटी) आप कम से कम अपने पर रहम करिये, देश पर रहम करिये, धोखा सत बीजिए, बहुत दिनों से धोखा दिया है। मैं चाहता हूं ग्राप यह बात मत करिये। ...हम लोगों को कुछ बात करने दीजिए। . . . (व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY) . Please try to conclude. I will be calling . the next speaker. I gave you more than 15 minutes. The Minister has' to intervene.

SHRI RAM AWADHESH SIN-GH: Be fair, Sir. You have given more than 40 minutes' time to one member.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): No, I have not given that much. I have given only 25 minutes... (Interruptions)

SHRI M. A. BABY (Kerala): He is trying to conclude, but how can he conclude?

(Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN. (SHRI V. NARAYANASAMY).: I think you are on the last point now.

श्री विठठतराव माधवराव जाघव : वह सोच रहे हैं कि समाजवाद पर कैसे बोला जाए।

श्री राम अवधेश सिंहः समाजवाद ग्राप लोगों के लिए घोखाधड़ी का एक भ्रावरण है, हम लोगों के लिए जीवन

है। इसलिए इसके बारे में ग्राप ज्यादा बात मत करिए।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : ग्राप इतने बड़े सम जवादी है कि सम जवाद ग्राप पर लज्जा करता है। .. (व्यवधान)

श्रो राम अवधेश सिंह : वह ग्राप मोगों से शर्म करता है। ... (व्यवधान)

मान्यवर, मैं कह रहा हूं कि क्षेत्रीय विषमता मिट ए बिना एकरूपता मजदूरी में, देश में नहीं ग्रा सकती। यह व्याव-हरिक बात है ग्रीर क्षेत्रीय विषमता की मिट ने में जो भी कठित इयां है, उनको निकालना चाहिए, जैसे हमने नीतियों का जित्र करते हुए, शुरू में कहा एक है-रिल माल भाड़ा सामा-न्यीकरण नीति।

दूसरी नीति जो है, उसका नाम हैं—गडगिल फारम्लं—उसके अनुसार म्रं वश्यक्ता पर भ्राधारित हंग से योजना र शि का आवंटन नहीं होता है, बल्कि संसाधनों के इक्टठा काने की शक्ति के ऊपर, योजना विकास र शि का ग्र वटन होता है। यह बहुत गलत व त है वयोंकि, म न्यवर, विकास तो ग्रादमी को करना है, ग्रदमी के लिए पढ़ाई का इंतजाम करना है, धादमी के लिए दव।ई का इंतज म करना है, ग्रादमी के लिए रोजगार का इंतजाम करना है।

VIA Facili SHRI VITHALRAO MADHAV-

श्री. राम अवधेश सिंह: इसलिए जितनी जनसंख्या जिस सूबे की हो, उस ग्रन्प त में ग्राप दीजिए, क्योंकि प्रदेश से जिले में, जिले से प्रखंड में, प्रखंड से पंचायत में, जो विकास राशि का बंटवारा होता है, वह ग्रावादी के ग्राधार पर होता है, तो फिर क्यों नहीं देश से प्रदेश में जो योजना राशि का बंटवारा होता है, उसका ग्राधार ग्राबादी होना च हिए ग्रीर नीड-बस्ट प्लानिंग नहीं होगा।

एक स ननीय सदस्य : श्राप विजय पर बोलिंब।

श्री र म प्रवधेश सिंह : यही विषय है। यह आपकी समझ के व हर की बात है। विषय यही है, क्योंकि जब तक क्षेत्रीय विवमता रहेगी, ग्राप कोई राष्ट्रीय एक मजदूर नीति नहीं बना सकते क्योंकि एक जगह कॉस्ट ग्राफ प्रोडक्शन एक ही चीज का बंगाल में कुछ पड़ेगा और पंजाब में कुछ पड़ेगा, मद्रास में कुछ पड़ेगा ग्रीर बिहार में कुछ पड़ेगा, हिम चल प्रदेश में कुछ पड़ेगा और उड़ीसा में कुछ पड़ेगा ग्रीर जब कस्ट ग्राफ प्रोडक्शन में अंतर होगा, तो मजदूरी एक नहीं हो सकती। क्राप चाहे जितना बुद्धिको बयान कर लें। यह होने वाली चीज नहीं है। (समय की घंटीं)

इसलिए राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीयता के लिए जो खतरा है, वह क्षेत्रीय विषमता है।

श्री पश्पति नाथ सुकुल (उत्तर प्रदेश): ग्रवं ग्राप बैठ जाइये, मंत्री जी बोलेंगे।

श्री राम ग्रवधेश सिंहः मैं कनक्लूड कर रहा ं। ग्राप बीच में इंटरिक्यर नत करिए। अपको ही तो मैं कह रहा हुं: चनकी बात तो हम सुनना चाहते हैं।

तो मैं कह रहा हुं कि तीसरी जो नीति है, जिसके चलते क्षेत्रीय विषमता बढ़ रही है, वह खनिज पदार्थों में विभेद-कारी रायल्टी का देना है।

अगर अप असम में 25 प्रतिशत पेट्रोलियम पर रायल्टी देते हैं, गुजरात में 25 प्रतिशत रायल्टी देते हैं, तो हमारे यहां कोयले पर वजन से क्यों देते हैं? उसको दाम से लिंक करिए ग्रीर उसकी भी परसेंटेज करिए। हमको ीन 2 5 प्रतिभात कम से कम या 50

प्रतिभात दीजिए, लेकिन ग्रायरन और में भी वही हाल है, मेंगेनाज में भी वहीं...

श्री पशुपति नाथ सुकुल : ग्राप समर्थन कर रहे हैं कि विरोध कर रहे

श्री राम अवधेश सिंह: मैंने प्रस्ताव के समर्थन में शुरू मे ही बोल दिया कि मैं आपके प्रति बहत-बहत अभारी हुं कि ग्रापके संकल्प प्रस्ताव के माध्यम से हम लोगों को इस विषय पर चर्चा करने का मौका मिला और हम लोग जो चर्चो कर रहे हैं, जो सुझाव दे रहे हैं...यह माननीय श्रम मंत्री जो श्रमिक रष्टु चुके हैं। एक श्रमिक के दर्द को जानते हैं। इसिलए मुझे उम्मीद है कि इम लोग जो बात-चीत करेंमे, यहां चर्ना हो रही है, इनके मन पर द्यसर पड़ेगा ग्रीर भारत सरकार पूरे तौर पर मिल कर इसके बारे में कुछ बात करेगी ग्रीर ग्रन्छी बात करेगी, यह हुमारे मन में बात है। .. (व्यवधान) मैं ग्रापका समर्थन कर रहा हं, लेकिन मैं यह चाह रहा हूं कि जो बातें आपने लिखी हैं उसके लिए पूंजीपतियों को दवाना जरूरी है। क्षेत्रीय विषमता मिटाना जरूरी है। लेकिन शाप जैसे प्रगतिशील लोगों की भी जुबां बंद हो गई। ग्राप कभी मोनोपली हाउसेज के खिलाफ भी बोलते हैं? मैं उम्मीद करता था कि पी० एन० सुकुल जी, रत्नाकर पाण्डेय जी, आप लोग टाटा, बिरला, सिंघानियाँ, बाटा जैसे जितने हैं इनके खिलाफ में मुहिम चलाइये भीर मैं उसमें साथ रहुंगा। टाटा की कर चोरी जगजाहिर है, सरकार क्यों बपुंसक है? ... (व्यवधान)

डां० रतनाकर पाण्डेय : मजदूरीं का मैनेजमेंट में शेयर होना चाहिए।

थी राम ग्रवधेश सिंह: विल्क्ल में अपसे सहमत हूं, मैं सन जीकरण का पक्षपति। हं कि मजदूर भी भारखाना चलायों ग्रीर लाभ-हानि में उसका हिस्सा

366

ही, वह उसका म∜लिक हो। यह बन(इये, मैं उससे पीछे थोड़े ही रहने वाला हूं, लेकिन ग्राप लोग तो मुंह से बोलते हैं,

SHRI VITHALRAO MADHAV-RAO JADHAV: Why?

than 23 minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): You try the conclude. I will call the next 40, 45 minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI NARAYANASAMY): Because will speak for about speaker. I have given you more than 23 minutes.

GH: One minute, Sir.

SHRI RAM AWADHESH SIN- RAO JADHAV : If you give him five minutes, please give me also VITHALRAO म यह कहना five minutes, at least two minutes.

च हता हूं, मान्यवर, इस सरकार से अपील कर रहा हूं कि यह जो भावनाएं व्यक्त की भावना को हकीकत में उतारने के लिए this जो कठिनाइयां हैं उन कठिनाइयों का House for discussion. विषमता और प्रजीपतियों की लूट और of the society, which the majority of the potential की बढ़ावा, ये मूल कारण the country. According to है। जब तक एकाधिकारवाद चलता Census, the labour force रहेगा, इजारेजारी चलती रहेगी तब तक country है ग्रीर इसके मार्ग में जितनी कठिनाइयां unorganised. हैं उनसे पहले लड़ना जरूरी है। तब they जाकर ग्राप एक राष्ट्रीय मजदूर नीति Will कायम कर सकते हैं, वरना जितनी will बातों ग्रापने इसमें लिखी हैं, वह कोई that होने वाली नहीं है ग्रीर कोई सरकार the नहीं कर सकती है। धन्यवाद।

SHRI KAHNU CHARAN गई हैं, ग्रांदर्श भावना है, इस ग्रांदर्श NKA . Mr. Vice-Chairman, find that Mr. Sukulji has Sir. I that Mr. Sukulji has brought important Resolution in Reso-This इजहार मैंने खुलकर किया कि यह क्षेत्रीय lution relates to the working class constitutes population in g to the 1981 in the is 222 million, out of which ग्राप चाहेंगे कि एक राष्ट्रीय मजदूर So, 90 per cent is in the organised sector. नीति हो जाए तो वह नहीं होने वाली that which lives in the villages, is They have no unions, have no organisations which protect their employers, interests, which fight against which fight against injustice. hope during this during Ministry. that during this Ministry, the tenure of Mr. Bindeshwari who has spent most of his Dubev in the labour field, he will certainly bring a comprehensive legislation for this labour class, and I think that

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI if he will be able to bring laws NARAYANASAMY): Mr. Len-he will be remembered in history. Then the Minister will intervene I have faith in him. I request him Then the Minister will intervene. Therefore, kindly finish within five minutes. No more time will be poor people. Dubey Ji knows the poor people. Dubey Ji knows the precedible conditions in which the precarious conditions in agricultural and landless which the labourers after their marriage live separately

NKA (Orissa): I will try to conclude live-in the villages. The within five minutes. within five minutes.

SHRI VITHALRAO MADHAV- wives and children and old parents are left uncared for What pro-THE VICE-CHAIRMAN (SHRI to make for them? Those who V. NARAYANASAMY): No chation, on attaining old age, are not

RAO JADHAV : Sir, me also.

nce for you.

368

[Shri Kahnu Charan Lenka]

covered under the old-age pension scheme. The present rule is that those who have got earning members will not be eligible for pension. But in actual practice even though they have got major sons, they are not looked after by them generally.

Secondly, unless you see the conditions in which they are living, you cannot imagine the conditions in which they are put. They have to work hard. And if they are unable to work because of some disease their children starve. Agricultural economy is the backbone of our country and if the standard of living of the agricultural working Class is not improved, how can you expect that the country will develop? Of course, there are laws for the agricultural labour, but I would like to draw the attention of Dubey Ji to the fact that they are not strictly observed. The wages of the agricultural labour are in fact, determined by the level of employment. They are fixed at the employer's will. Is there any law to punish those who violate the Minimum Wages Act? The responsibility of encorcing the laws for the benefit of the labour is that of the Labour Ministry. Sir, you know the structure of the Labour Department. For the districts there is only one Labour Officer having five or seven Assistant Labour Officers. Obviously they are unable to enforce the Minimum Wages Ac.

Now, I come to the Equal Remuneration Act, which is designed to protect the interests of women labourers. This Act needs a drastic change. The women are not getting equal wages along with men. In every State laws are being violated.

Secondly, the minimum wages fixed in all States are far, far below the minimum needs of a person. Sir, Rs. 10 and Rs. 15 per day is nothing for a man who has got two or three children in the family to maintain. The first thing that

I want to draw the attention of the Government is to the wage structure of the country in the public sector undertakings, Government departments and in the private enterprises. You will see in the Government department, a person is getting Rs. 10,000, Rs. 5,000, Rs. 3,000 minimum salary. He is drawing Rs. 100 per day. On the other hand, you will see that the agricultural labourers who are living in the villages are getting hardly Rs. 5 or 6 per day. So this is the difference. One is getting Rs. 100 per day and the other Rs. 5 per day. Will it help a socialistic country to develop? So this needs now a drastic change in the whole structure, wage structure in the country. The first duty and the prime duty of a socialist Government is to fulfil the minimum needs of a person. After fulfilling the minimum needs, you can increase the salaries of the officers, bosses and white elephants. So I request the Minister that he" should look into this matter. If he brings a comprehensive Bill for the labour class in the country, he will be remembered in history. I have so many suggestions to make but you rang the bell and so I will not go into the details. My career is in the labour field and I have got a number of things to be discussed here but I will do sq some other time. I thank Sukulji for bringing forward Mr. this Resolution before this House. In the 20-point programme, Indiraji included three points for the labour class because she understood that the labour class are the backbone of the country. Now, Rajivji has strengthened this 20-point programme and highlighted the points concerning the labourers. May I know from the Minister whether the Labour Department is equipped with all sorts of powers to punish all the industrialists who are violating the laws? So now it requires amendment of the Act. I suggest you should give mors powers to the Labour Department. The Labour Officers have become toys in the hands of the industrialists. There are no proof a comprehensive

per working conditions in the industries. The labourers have to work in unhealthy conditions. In the broad daylight they are violating the laws. You ask your Labour Officers; they will tell you the actual position. They say: "We are helpless. We cannot do anything. We can only make" conciliation effort with them.if No provision has been made in the Act to punish the Labour Officers up. till now. So this is the time under the leadership of Shrt Rajiv Gandhi, who has brought Jawahar Rozgar Yojana to the Panchayats. that the minimum wages are fixed now. Otherwise, the benefits of the Jawahar Rozgar Yojana would be taken away by the middlemen. In the villages the Jawahar Rozgar Yojana is going to be implemented and a major portion of the money is earmarked for labour-intensive works. So, it is necessary to bring a comprehensive Bill for the poorer sections of the society who are the centres of economy in our society.

श्री बी० सत्यनारायण रेंब्डी (धानध प्रदेश): श्रीमान, श्री पश्राति नाथ स्कूल के द्वारा 28 ज्लाई, 1989 की जी संकल्प, जो प्रस्ताव इस सदन के अन्दर पेश किया गया, उसका स्वागत करते हुए में तीन सूचनाएं देना चाहता हूं। इन्होंने इन प्रस्ताव के जरिए एक राष्ट्रीय मजदूरी नीति की भाग की है और यह इसलिए कि जो भजदूर संगठित या ध्संगठित है, आज तक कोई उनकी भलाई के लिए, उनके सुधार के लिए, उनके जीवन की अदंघा बनाने के लिए, उनकी तालीम के लिए, उनके स्वास्य के लिए या उनके रोजगार के लिए कोई ऐसी राष्ट्रीय नीति नहीं बनी िससे कि उनमें सुधार हो । इपलिए इस प्रस्ताव के औरए स्कूल जी ने राष्ट्र और सरकार का इतन इत तरफ दिलाया कि मजदूरी की भलाई हो।

इसमें उन्होंने आठ चीजें बताई हैं। इस प्रस्ताव के जरिए से जब तक इनको न किया लाए तब तक कोई सुधार नहीं हो सदला । मैं स्वागत पारते हुए इस में कुछ संगीया लाना चाहता हं और वह यह कि जब तक संविधान में संशोधन नहीं होगा, धापका यह प्रस्ताव कुछ ठीका ढंग से बैठ नहीं सकेगा । मेरा पहल सुझाव यह है ग्रापके इस प्रस्ताव में कि संविधन का संशोधन होना राहिए। सबसे पहले यह कि कांस्टिट्युशरल ्मेंडमेंट राइट टूवर्क, काम करने का अधिकार हो । उन तक यह कांस्ट्यूणनल एमेंडमेंट के जरिए नहीं होगा सदिधान में, आप विसी भी सुरत में ितने भी प्रस्ताव यहां लाएं ितने भी कान्न बनाए, वे सब कामज पर रह जाएंगे, उनका कीई मतलब नहीं होगा । दूसरा मेरा सुझाव यह हैकि, आयमिन कहा है. और प्रस्ताव में भी मांगकी है कि राष्ट्रीय मजदूरी नीति होनी च हिए, नेशनल वेज पालिसी होती चाहिए सारे देश के लिए और इसको सफल बनामा एक अक्री चीज है। जैसे चित्त बसू जी ने एक संमोधन पेश किया, मैं नहीं समझता कि स्कूल जी ने उसको सूना या नहीं सूना उनका संशोधन था:--

The Government 6hould reorient its ecnomic policies to give effect proposals. above ध्रापके जो सुझाव है, जब तक अधिक मीति को सरकार नहीं बदलेगी, तब तक यह सब बेकार हो आएंगे, इनका कोई मतलब नहीं होगा । इसलिए मैं सुकुल जी से यह प्रार्थना करूगा और साथ ही साथ मंत्री महोदय यहां बैठे हुए हैं,, उनसे भी मेरी यह प्रार्थना है कि देश की इस बड़ी संख्या को, जिसमें अभी चित्त बसूजी बता रहे थे कि 6 करोड़ खेतिहर मजदूर श्रावः बेरोजगार हैं देश में । ग्रभी पता नहीं दूसरे कामों के कितने लोग वेरोजगार हैं? इस समस्या को कैसे हल किया जाएगा ? इसलिए में चाहुंगा कि इस समस्या सही मायनों में अगर इल करना चाहते हैं श्रीर सुकुल जी तहै-दिल से भजदरों की जो समस्या देश के अंदर पैदा हो गई है उसको ठीक ढंग से इल करना चाहते हैं तो चित्त बस् जी ने जो सुझाव दिए हैं भीर जो सुझाव मैंने दिए हैं उनको इस प्रस्ताव में जोड़ें श्रीर इसके साथ-साथ सरकार को चाहिए

372

[श्री बी० सस्यनारायण रेड्डी]

कि इन**ःसाम** जुझावों के अनुसार जी संशोधन हमने पेश किए हैं। इसकी मद्देव पर रखते हुए सरकार प्रस्ताव का **म**ानना चाहिए और देश की जो कठित समस्या है मजदूरों की, इसका हल होना चाहिए।

त्रापका शुक्रियाकि आधने मुझे सम्ब दिया । धन्यवाद ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Mr. Vtthalrao Maduavrao Jadhav, kindly confine yourself to two minutes.

SHRI VITHALRAO MADHAV-RAO JADHAV : Sir* I will take three minutes, not more than that.

Sir. there are two types of work* ers in our country. One is the organised sector and the other is the unorganised sector. The organised sector includes big industries, mills, public sector industries, small scale industries and private industries. There are othertypes of workers who come under the trade sector. Then Mathady Kamgar Haman, government servants and workers in private big industries come in addition to construction workers who number more than two crores and form whom late Kayanasundaram, who was an hon. Member of this Houset brought a Bill. These are labour in the organised sector. The unorganised sector incfijdes agricultural labourers small farmers, fisherman, Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The main problem of our country is about the unorganised sector. Another important sector of this labour cell is Mahila Kamgar women workers. Then come forest workers. Thendu Pathai beedi, workers and child labour. These are very important. Every day, these people are being exploited in our country by the haves. It is a question of haves an 'have-nots. We have to give social an economic justice to the people who are have nots'

Sir, I have another suggestion to make. Agro-industrial societies should be created in this country because unless we go towards agroindustriaf societies, unless agriculturists and agiicuf rural labourers who form 70 to 75 per cent of the labour in our country, get economic justice, the problem cannot be solved. There are so many mills which have gone sick. I would like to suggest in this House that they should be run by cooperative labour societies. In Bombay there are so many cooperative labour societies coming forward to tun sick textile mills. From that point of view, we must have a new economic policy. That new economic policy should be based on socialism and economic imbalances should be removed. Our planning process should be in such a way that planning is formulated on the basis of population and geography. A new direction should be given to the planning process so that there may not be exploitation of anybody who is born on this soil. Everybody is labourer, big or small. We are talking about the problems of small labourers who are getting exploited in this country. Tatas and Birlas are big labourers who earn crores of rupees daily. One of my hon, friends here said the man-in-the-street earns Rs. 18/to Rs. 40/- a day. It is nowhere obtaining. Labour charges are only Rs. 10/- to Rs. 12/- per worker. These people are getting exploited today when prices are rising. These people should get justice. Hon. Mr. Dubey who is a renouned labour leader of this country and who is holding charge of the labour department must thoroughly study the suggestions given by hon. friends Shrt P. N. Sukul, and he must formulate a comprehensive bill so that the poor people who belong to the labour class who are eighty per cent of the population of the country get social and economic justice.

With these few lircs, I conclude. Thank you very much, Sir.

of a comprehensive

धम मंत्री (ओ बिन्देश्वरी दुवे): चनरमाष्ट्रांस महोदन हमारे विद्यान हो व सदस्य श्री यो० एन० सुसूत जो ते जो प्रस्ताव रखा है वह बिल्क्ष्य संगत, मीज और हुं कि उसने सरकार को सैद्धान्तिक सहमति है।

जहां कुछ माननीय सदस्यों ने उनका समर्थन करते हुए प्रस्ताव की प्रशंपा भी की, मुझे श्री चित्त बसु जो श्रमिक नेता हैं, जो श्रमिक आन्दोलन से बहुत पुराने जमाने से संबंधित रहे हैं, उनकी कुछ बतों से दुख और आक्चर्य हुआ है। पी०एन० सुकूल जी केइन प्रस्ताव में उन्होंने कुछ राजनीति देखी है और कुछ चनावी रणनीति की गंध कैसे मिल भयी यह वह ही जानते हैं। वह जानना चाहते हैं कि इतमें का सचमुच निसीपरिटी है या इलेक्शन गिनिक है। मुझे बड़ा दुख हुपा और यह कहने से ग्रन को रोक नहीं सका ।श्रीसुकुल का प्रस्ताव संविधान के मार्ग निर्देशक सिद्धांतीं भ्रनुकूल है जो हमारे संविधान रचियता, हमारे संविधान के नेताओं ने निर्णित किये हैं। उन्होंने इसके लिए ग्राठ सुझाव दिये हैं। मैं बताना चाहता हूं कि उनके सुझावों के क्रियान्वयन में हनारी सरकार ने बना किया हैं। उन्होंने इत प्रस्ताव में स्वीकार किया है कि इन भाग निर्देशक सिद्धांतों को हमन में रखते हुए जहां सरकार ने बहुत तारे कंत्याणकारी कानून बनाये हैं वहां सिर्फ उन्होंने इस प्रस्ताव में यह कहा कि समय के परिवर्तन के साथ-साथ जिस गति से मनदूरों हालत में जो संगठित या असंगठित क्षेत्रों endeavour प्रगति होनी चाहिए थी वह नहीं पायी । इनित् उन्होंने कुछ दिये।

रेड्डी: श्री बीठ सत्यनारायण प्रस्तान में कहा गया है कि अधिक ुधार नहीं हुआ है ।

भो चिन्देशवरी हुवे: छात जनको पहियो । भी पाड़ १८३३ हो :

National Wage Policy

by Govt.—withdrawn

"Having regard to the fact that सुचिन्तित है और बड़े नेक उद्देश्य से लागा although Government has enacted गया है आर मैं तर्वप्रथम हो कहना चाहता 0 number of labour welfare laws, है कि जनमें सरकार को सैद्धान्तिक सहमति keeping in view the Directive Princples of State Policy..."

> श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी: उन्होंने कड़ा है कि सुधार नहीं हुआ है।

श्री बिन्देश्वरी दुवे : अगर मेरे पास समय होता तो मैं एक-एक सदस्य का जवाब देता, दे सकता था। सिर्फ मुल प्रस्ताव तक ही अपने की समेटे रखना चाहता हूं। जैसा मैंने कहा जो मार्ग निर्देशक िडांत है उसके िए जो भी किया जा सकता है कानून बनाये जा सकते थे उसके कियान्वयन की दिशा में कदम उठाये ा सकते थे वे उठाये गये। लेकिन उसमें बहुत सारी कठिनाइयां भी हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति वे बाद से ही उस पर काफी चिन्तन हुआ है। 1948 के इंडस्ट्रियल रेजोल्यान से लेकर उसके बाद 1958 का इंडस्ट्रियल रेजोल्शन द्याया ग्रीर इस सम्बंध में कई कमेटियां गठित की गयीं । उन्होंने भी इस पर चिन्तन किया। फेयर वेज कमेटी ने भी चिन्तन किया है नेशनल कमीशन छोन लेबर ने भी चिन्तन किया है । लेबर मिनिस्टर्स कान्फरेंस हुई उसमें भी कई बार चिन्तन हुआ । कंस्ट्रीट्यूशन के आर्टीकल 43 का भी जिक्क किया गया है इस रेजोल्यन में । मैं उसको कोट करना चाहता हं :

43 : "The State shall Article हालत में जो संगठित या असंगठित क्षेत्री endeavour to secure, by suitable में काम करते हैं उसके कार्यान्वयन में legislation or economic organisation gi or in any other way, to all workers, सुझाव agricultural, industrial or otherwise, work, a living wags, conditions of work ensuring a decent standard of life and full enjoyment of leisure and social and cultural opportunities and, in particular, the State' shall endeavour to promote cottage industries on an individual or cooperative basis in rural areas."...

376

SHRI B. SATYANARAYAN REDDY: The State has failed in this regard.

of a comprehensive

श्री विस्वेशवरी दुवे : इस दिशा में प्रयास हुए हैं या नहीं इस पर मै प्रकाश डालना चाहंगा । लेकिन इसके पहले में यह कहना चाहता हू कि फेयर वेत कमेटी सरकार ने बनायी । उस कमेटी ने ितने देश के अर्थशास्त्री हैं, त्रिद्वान हैं, मब्दूर आंदोलन से जुड़ें हुए लोग हैं और दूसरे विद्वान हैं उनके ताथ विचार विमर्श किया । काफी चिन्तन और मंथन इस बारे में हुआ।

ग्रीर उन्होंने जो राय व्यक्त की है जसको मैं कोट करना चाहता हं:--

"The Fair Wage Committee has stated that any* attempt to involve the principles governing the payment of wages must be against the background of the general economic condition of the country and the level of the national income.

इसी तरह से नेमनल कमीमन आन लेवर ने भी इप पर काफी चिन्तन विधा और सभी वर्ग के लोगों । विचार-विमर्श किया । नेशनल किमीशन यान लेवर ने राय व्यक्त की जो देश के बहुत बड़े न्यायविद थे, उन्होंने नहा-

"In an economy in the process of development and with people wedded to democratic institutions the difficulties in framing a wage policy are manifold. It is in this setting that we have to view the various issues connected with the wage policy in our country."

एक नेशनल वेज पालिसी बना दो, यह बाहता आमान है, लेकिन नेशनल वेज पालिसी को इम्प्लीमेंट करना कठिन है ग्रीर उसके ग्रनुकुल परिस्थिति जैसे-जैसे बनेगी, उस दिशा में प्रयास होते जाएंगे। उन्होंने जो आठ सझाव दिये हैं, मैं बताऊंगा उन सुझावों में कौन-कौन से सझावों को इम्प्लीमेंट किया गया है। इनके लिए इंडियन लेबर कांग्रेंन बुलाई गई । सबसे जो टोप मोस्ट ट्राइपार्टाइट

बोड़ी विसको कह सकते हैं और जो पूरे श्रमिकों देश के साधिकार के संबंध में बोल सकती वेश पालिसी के संबंध में बोल सकती है, राय व्यक्त कर लकती है उन्होंने भी इस मामले पर विचार किया और उन्होंने मिनिमम वेजज के संबंध में कहा--

"The Indian Labour Conference which considered the need for a national minimum wage expressed the view that till such time a. national wage becomes feasible, it would be desirable for the Central Government to lay down guidelines for the regional minimum wage.'

स्पष्ट है कि इस संबंध में अपने देश के जानकार, इस विषय के जानकर विद्वानों के क्या मत हैं। जहां तक उन्होंने प्रयास की बात कही, इस संबंध में जो प्रयास हुए हैं, वह भी मैं बताना चाहुंगा। न सिर्फ इस संबंध में कानून वर्ने ग्रीर कानन तो बनें, मिनिमम वेजज एक्ट बना, उसके लिए क्या नाम्सं होंने, वह भी नेशनल लेबर कांफ्रेंस में डिसकश हग्रा । नेशनल लेबर जो कर्माशन था, उसने भी इस पर विचार किया ग्रीर उसने नाम्सं भी दिये । इसके अलावा इंडस्टियल डिस्प्युट एक्ट बना, पेमेन्ट आफ वेजज एक्ट बना ग्रौर बहत सारे एक्ट्स बने, इक्वेल रिम्युनरेशन एक्ट बना, मिनिसम वेजज के बारे में काफी बातें हुई । में यह कहना चाहता हुं कि भया उधित समय द्या गया है कि तरकाल कोई नेशनल वेज श्रभी बन सकता है? इस प्रश्न पर विचार करना होगा । जहां तक मैंने कहा कि नेक-नियती से यह संकल्प लाया गया है। सरकार का सिद्धान्तः इससे मतभेद नहीं है और मैं यह कहना चाहता है कि राजीव गांधी की सरकार पसीने की कमाई खाने वालों के लिए, उन सारे वैसे इंसानों को अच्छी इंसानी जिन्दगी ग्रीर समाज में प्रतिष्ठा देने के लिए कटिबद्ध है, वहां इस बात की भी श्रावश्यकता है कि हमें इसके लिए उचितः माहील तैयार करना चाहिए। म्रावश्यकता इस बात की है कि हमारी श्रर्थं व्यवस्था वैसी हो कि बैसा समय हम

शीघ्र ला सकें, हम एक नेशनल वेज पालिसी बना सर्के । ऐसा कहना कि हमारी जो ग्राधिक नीति है वह सही नहीं है, मैं समझता हूं कि यह विकृत दिमाग की ही उपज हो सकती है। थाज जिस तेजी के साथ हमारा देश ग्रागे वह रहा है, जिस तेजों के साथ आर्थिक प्रगति हो रही है उसको देख कर दुनिया के दूसरे देश चकाचौंध में पड़ गये हैं ग्रीर हमारे देश के कुछ लोग हमारी ग्राथिक नीतियों को बटिपूर्ण बतायें तो यह आश्चर्य की ही बात हो सकती हैं। या तो उनमें ज्ञान के अभाव की बात या ज्ञान की कभी की बात कही जा सक्ती है या जानबुझकर राजनैतिक दुष्भावना से प्रेरित हो हर ऐसी बात कही जाती है। इसके अलावा अन्य कोई बात नहीं हो सकती है।

चित्त बसू जी नै कहा कि नेशनल वेज पालिसी के पहले नेशनल इम्पलाईमेंट पालिसी होनी चाहिये । नेशनल इम्पलाईमेंट पालिसी है। सप्तम पंचवर्षीय योजना में कुछ बाइडे प्रस्तुत किये गये । उन म्रांगड़ों में संबंध में मैं जबाब दे सकता हं लेकिन जैसा कि मैंने कहा समय कम है इसलिये मैड्स पर अधिक नहीं कह सकता । लेकिन इतना कहना चाहता है कि जो इम्पलाईसेंट एक्सचेंज के आंकड़े हैं वे सही नहीं हैं। एक व्यक्ति नौक्शो पाने के लिये न सिर्फ एक इम्पलाईमेंट एक्सचेंज में बल्कि कई-कई एम्पलाईमेंट एक्सचैंज में नाम वर्ज कराता है। इम्पलाईमेंट मिलने के बाद उसकी कहना चाहिये कि मेरा नाम काट दिया जास नेकिन वह ऐसा भी नहीं करता है, रेन्यूबल वह समय पर नहीं कराता है। कई सारी वृद्धिं इस व्यवस्था में है। इसलिय इम्पलाईमेंट एक्सचैंज में रिजस्टई नाम है वह सही शांकड़े प्रस्तुत नहीं करते । नेशनल सैम्पल सर्व श्राग-नाइजेशन जी प्लोनिंग कमीशन के सांख्यकी विभाग का है उसने कुछ ब्रांकड़े दिये हैं कि कितना इम्पलाईमेंट इस पंचवर्षीय योजना के पूर्व में भीर छठी पंचवर्षीय योजना के ग्रंत में था । उसके बाद जो इम्पलाईमेंट पालिसी हमने बनाई, प्लान डाक्युमेंट बनता है, प्लान के हिसाब से अगर हमारी ब्रायिक प्रगति, हमारा

श्राधिक ग्रोब 5 प्रतिशत के हिसाब होता या तो इस योजना ग्रवधि में इम्पलाईमेंट के लिए जितने हाथ उपलब्ध होंगे उससे ज्यादा इम्पलाईमेंट हम दे सकेंगे। इससे करीव-करीव एक मिलियन से ज्यादा को नियोजन मिल सकेगा। इस प्रकार हमारा जो वैकलाग था 9 मिलियन का उसमें से एक मिलियन के करोव इस इम्पलाईमेंट द्वारा निकल जायेगा । इस तरह से जो हम ग्राठवीं पंचवर्जीय योजना का करने जा रहे हैं उसमें हमारो क्या स्ट्रैटजी होगी उसका भी हम निर्वारण करने जा रहे हैं। जबाहर रोजगार योजना कितनी वडी बात हुई ? वह इम्पलाईमेंट पालिसो के कियान्वयन की दिशा में एक ऐतिहासिक श्रीर क्रान्तिकारी कदम है जिसमें 2640 करोड़ रुपये खर्च किये जा रहे हैं। देश में जितने भी लीग गरीबी की रेखा के नीचे के हैं उन परिवारों के एक-एक व्यक्ति को नौकरो देने की दिशा में हम याने बढ़ रहे हैं। इसको क्या ग्राप मामूली वात समझते हैं ? यह एक ऐतिहासिक निर्णय है जिसको हम पुरा करने जा रहे हैं। इसलिए हम ऐसा नहीं मानते हैं कि देश के पास कोई इम्पलाइमेट पालिसी नहीं है। गुलामी से जर्जर देश जिस देश में एक सुई बनाने का उद्योग भी नहीं था, जो देश दाने-दाने के लिये मोहताज था उस देश में क्या ये सारी चीज एक दिन में हो सकतो है ? हम इस दिशा में श्रामे बढ़ हैं। सुकुल जी ने अपने रेजोल्यूशन में कहा है कि :

"provision is made to ensure that periodical revMdri Of mtnmum wages, wherever these hare been fixed under the-, existing laws, take place regularly.'

में सदन को सूचिव करना चाहता हं कि हमने और हमारे पूर्ववर्ती जो श्रम मंत्री थे उन्होंने विभिन्न....

जिपसभापति महोदया पीठासीन हुईं]

राज्यों के श्रम मंत्रियों का सम्मेलन बुलाया था । 1987 में यह निर्णय हुन्ना था कि प्रत्येक दो वर्ष के बाद न्यूनतम मजदूरी में ग्रावश्यक सुधार लाया जाय ।

[श्री बिन्देश्वरी दुवे]

दो वर्ष या 50 सूचलांक में वृद्धि हो तो उसमें मुधार लाया जाय । इस दिशा में कार्य भी किया गया है । कभी मैंने जो सम्मेलत बुलाया श्रम पंतियाँ का, उसमें हमने यह निर्णय भी लिया, श्रम मंतियों की सहमति से कि न सिर्फ दो वर्ष में न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि हो विल्क ऐसा अल्ड उसमें प्रावधान किया जाय जिससे वेरियेवल डियरनेस अलाउन्स जो वेरियेवल कम्मोनेंट हैं, जो मूल्य बढ़ता है, उस मूल्य की कास्ट श्राफ लिक्सि में वृद्धि को

कपन्सेट करने के लिये कोई नियम 5 P.M) बनाया आए। मैं ग्रापको बतलाना चाहता है जो उद्योग केन्द्रीय सरकार के अधिकार क्षेत्र में झाते हैं इन में हम लोगों ने वेरियेबल सिस्टम लागु किया है। 37 श्रीसेसेच हैं, माइंस और दूसरे श्रीसेसेज हैं जो केन्द्रीय प्रधिकार क्षेत्र में हैं वहां वेरियेवल डियरनेस ब्रलाऊंस सिस्टम इम लोगों ने लागु किया है। जैसे ही प्राइस इंडेक्स में वृद्धि होगी उसके फलस्वरूप जो वेजेज में इरोजन होगा उसको फुलो कम्पनशेट करने के लिए हम लोगों ने फारमुला तैयार कर के केन्द्रीय सरकार के अधिकोर क्षेत्र में दिया है लेकिन यह सब को विदित है कि यह कनकेंट सब्बेज्ट है। हम कनकेन्ट पावर ले कर कानून बनाते हैं और राज्य सरकारों की भी कमिकों के सम्बन्ध में कान्त बनाने का अधिकार है। कई राज्य सरकारों ने **भ^पने मिनिमम बेजेफ एक्ट बनाए भी हैं।** जितने भी अभिकों के संबंध में हुम कानन बनाते हैं उनके कार्शन्वयन का पूरा ग्रिविकार राज्य सरकारों को है। उनके ग्रशिकार क्षेत्र में है । हम कोई भी दश्रल-प्रदाजी नहीं कर सकते **सं**विद्यान में राज्य सरकारों धौर केन्द्रोय सरकार के श्रधिकारों को सीमा हुई है। आप जानते हैं कि काफो कंटोंबर्सी, विवाद अभी केन्द्र और राज्य सरकारी के अधिकारों को ले कर छिड़ा हुआ। है । सेंसेटिव बात बन गई है (व्यवधान) उप-सभापति : दुवे जी पांचवा चुके हैं श्रीर पाइवेट मैम्बर्ज विजनेस का टाइम खत्म हो गया है।

श्री बिदेश्वरी दुवे : मैं ग्रयने वक्तव्य के श्रंत में यह ग्राश्वासन देना चाहता है कि एक नेशनल वेज पालिसो का निर्धारण करने की दिशा में जितना भी प्रयत्न जितना भी प्रयास सम्भव है किया जा रहा है ग्रीर जो श्री सुहुल जो ने सुझाव दिया है वह सर्वोत्तम सुझाव है। उन सुझावों में से कई तो कार्यान्वित किये जा रहे हैं श्रीर कई कार्यान्वित करने की दिशा में काफी प्रगति हुई है। यद्यपि मैं सैद्धान्तिक रूप में स्वागत करता तुं उस में कोई मतभेद नहीं रखता में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अभी वे अपना रेजोल्युशन वार्पिस ले लें स्योंकि उसके लिए उपयुक्त समय ग्रभी नहीं ग्राया है। साथ ही वूसरे संशोधन जिन माननीय सदस्यों ने पेश किये हैं वह संशोधन तो मैं बिलकुल मानने को तैयार नहीं हूं। यह तो सैज्ञान्तिक रूप से गलत हैं भीर मैं उनका विरोध करता है। धन्यवाद।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Chitta Basu, are you withdrawing your amendment?

SHRI P.N. SUKUL '. Madam, I have a right to reply. I will take five minutes.

I thank the Members for extending their support to my Resolution. My colleagues who spoke on the Resolution have offered very valuable suggestions. Eight Members had spoken on 28th July and today eight more Members have spoken. In all, 16 Members from my party as well as from the opposition parties have spoken on my Resolution. I thank them all for their compliments to me for bringing this Resolution for discussion in this august House.

Most of them have spoken about matters such as employment, child labour, women labourers and other Directive principles of State Policy.

lution was very much restricted and limited. It was only to draw the attention of this august House and the Government to the need to formulate and adopt a national policy about wages of workers, whether in the organised sector or in the unorganised sector and whether in urban or in rural areas. There is no doubt that due to lack of scientific and national approach to the problem, there is dissatisfaction and discontentment among the workers. This results in strikes, discord, loss of mandays, lock-outs as well as loss of production.

My friend, Shri Chitta Basu, by his amendment has said that we should change our economic policy. I am afraid I cannot agree with him. Shri Satyanarayan Reddy has supported the amendment. So, I do not agree with him too. Our economic policy has been formulated on a very solid and strong foundation. It is a planned economy to bring about socialism through democratic means wherein public sector will have a dominant role to play. The commitment of our Constitution to workers participation in management is evident from Article 43A. In other words, the direction of our economic policy is definite and well-laid both in the Constitution and in several plans. I therefore, do not think that there is any need for rethinking on the economic policy as a whole.

Mr. Chitta Basu called the Resolution an election gimmick. But I want to tell him that had it been an election gimmick, it would have come from the Government, not from the Private Member. (Interruption) Shri Satya Prakash Malaviya, while supporting the Resolution, attributed motives and doubted Government's intention Jawahar Rozgar Yojana. While we have already discussed the Yojana, we will be discussing the Panchayati Raj Bills very soon. If Shri Malaviya had correctly appreciated the scope of my

Resolution, we would not have passed remarks against these two issues. So far as the Panchayati Raj Bills are concerned, we are going to discuss it and, therefore, I do not want to take the time of the House in projecting the merits of the Bill. Both the Bills are people-oriented and aim at devolving power to the people at the grass-roots level. Only those who have a tendency Of a Doubting Thomas doubt the bona-, fide intentions of the Governmente But the public at large knows thl truth and, therefore, they have we corned these two Bills.

As I said earlier, Madam, my Intention of moving this Resolution was to highlight the neglected aspect of the workers welfare. I wanted that the Government should formulate a National Policy on Wages so that the discard and the industrial disharmony is removed, peace reigns in industry and production gets a boost and workers contribute whole heartedly towards the national reconstruction. I am happy that the House supported my Resolution. However, in view of the hon. Minister's remark that the existing conditions are not conductive to the formulation of a National Wage Policy though the Government agrees with the spirit of my Resolu-tion in principle, and that I should withdraw this Resolution at present, I do not want to press the Resolution, Madam, and I seek the leave of the House to withdraw the same. Thank you.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Chitta Basu, are you pressing your Amendment.?

SHRI CHITTA BASU: No.

The Amendment was, by leave, withdrawn.

The Resolution was, by leave withdrawn.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Before I call upon the Transport

[The Deputy Chairman] Minister to make his statement, I have to make an announcement that Shri Natwar Singh, the Minister of State in the Ministry of External Affairs, will make a statement in the House today regarding Tibet;

STATEMENTS BY MINISTERS

TIT Removal of difficulties in implementation* of Motor Vehicles Act, 1988 and Motor Vehicles Rules, 1989

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI RAJESH PILOT) : Madam Deputy Chairman,

Hon'ble Members will recall that the Motor Vehicles Act, 1988. and the Rules framed under it came into effect from 1-7-89. The new Act replaced the Motor Vehicles Act, 1989. the formulation of the new Act and Rules were preceded by detailed examination of the needed changes not only by Central Government and State Governments but also by representatives of the transport. industry, trade and commerce. Since the enactment of old Motor Vehicles Act in 1939, a sea change has taken place in the transport scenario and in response to. these changes, it was considered necessary to make substantial modfficatfbns to the provisions of the M.V. Act, 1939 with a view to promoting road safety, improving thequalifiction of drivers, pres-cribing standards for construction of vehicles, controlling pollution and removing some major constraints on the healthy development of the transport industry and new Motor Vehicles Act received the overwhelming support of this House.

During the course of the implementation of the Act and the Rules, Government have received from affected interests suggestions for effecting certain modifications. The Act and Rules have been for-

mulated to subserve the interests of the citizens of this country and, therefore, Government have given the most urgent consideration to the suggestions received and the difficulties pointed out.

Of and on, whenever points were raised in the House, I had already said that the Government's mind is open because it is a major change in the statute. We have made nearly 400 Amendments in this Motor Vehicles Act. So, any time we feel any hardship in any clause to our brothers and sisters, Government's mind is open to react to that and we see that that hardship is removed.

I have considered carefully the suggestions received fromhon. Members of this House. I have also held wideranging discussions with representatives of States and Union Territories and also considered various representations received by Government. Two or three days back, a meeting of the Transport Secietaries of all the States and Union Territories took place and we had a very detailed discussion about what practical difficulties the Authorities felt, what observations were given by the citizens to the authorities and what could be done to remove those hardships and problems.

In the light of these, it, has been decided that certain modifictions to the Rules framed under Motor Vehicles Act, 1988 would be desirable, The important changes that Government have decided to bring about are briefly listed below:—

Rule 5 of Central Motor Vehicles Rules, 1989 prescribe the Form of medical certificate which is to accompany the application for learner's licence. It has been decided to simplify the application Form. State Governments have also been requested to authorise all registered medical practitioners possessing the qualifications of MBBS to issue the